

**उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 का कार्यवृत्त**

उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम-2015 की धारा-21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य हैं:-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	1.	पदेन- कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो	2.	पदेन- प्रति-कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	3.	पदेन- संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	4.	पदेन- संकायाध्यक्ष (फार्मसी संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	5.	पदेन- संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	6.	पदेन- संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	7.	डा० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	8.	डा० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटमी विभाग, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	9.	डा० जी० के० सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के०जी०एम०यू०, लखनऊ
	10.	डा० राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ
	11.	डा० एस० एन० शंखवार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के०जी०एम०यू०, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०	12.	पदेन
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	13.	डा० एन०सी० प्रजापति, प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	14.	पदेन
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	15.	पदेन
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	16.	पदेन
धारा 22-(9) सचिव-कार्य परिषद कुलसचिव, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	17.	पदेन- कुलसचिव, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 पूर्वान्ह 11.00 बजे से कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

  
Dr. P. Singh  
Vice-Chancellor



कुलसचिव  
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा

दिनांक 12.09.2023 को कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे:—

1. डा0 प्रभात कुमार सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — अध्यक्ष
2. डा0 रमाकान्त यादव, प्रति-कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य
3. डा0 ऊषा शुक्ला, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य
4. डा0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष (फार्मसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य
5. डा0 ज्योति बाला, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य
6. डा0 नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटमी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य
7. डा0 मुकेश यादव, सम्बद्ध प्राचार्य (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
8. डा0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष—हीमेटोलॉजी, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ। (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया) — सदस्य
9. डा0 जी0 के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ — सदस्य
10. डा0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं, उत्तर प्रदेश — सदस्य
11. डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य सचिव

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अधिनियम-2015 की धारा-14(4) में यह व्यवस्था है कि “वित्त अधिकारी को कार्य परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।” इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में कुल 17 में से 11 सदस्य उपस्थित रहे एवं 6 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त सदस्य सचिव-कार्य परिषद/कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष, कार्य परिषद की अनुमति से कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार-विमर्श उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:—

एजेण्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
एजेण्डा बिन्दु 11-1 कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। प्रस्ताव— उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि मा0 कार्य परिषद करने की कृपा करें।
कार्य परिषद का निर्णय — मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इटावा, उ0प्र0

<p>एजेण्डा बिन्दु 11-2 कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या</p>	<p>उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्नवत् है:- प्रस्ताव- मा0 कार्य परिषद उपरोक्त अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय - मा0 कार्य परिषद कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।</p>	
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-3 UPUMS Condemnation &amp; Disposal (C&amp;D) Policy-2022 के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर अनुमोदन के संबंध में।</p>	<p><u>प्रस्ताव:</u> कार्यालय आदेश सं0 2499/यूपीयूएमएस/प्रशासन (69)/2022-23 दिनांक 03 अगस्त, 2022 के द्वारा गठित समिति ने UPUMS Condemnation &amp; Disposal (C&amp;D) Policy-2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। समिति द्वारा तैयार किए गये ड्राफ्ट में उल्लेख किया गया है कि "The guidelines would be effective following the approval by the Vice Chancellor &amp; ratifications by the executive Committee, and subsequent notification thereafter." मा0 कुलपति महोदय द्वारा UPUMS Condemnation &amp; Disposal (C&amp;D) Policy-2022 के ड्राफ्ट को अनुमोदित किया जा चुका है, साथ ही मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गये हैं। <u>प्रस्ताव:</u> समिति द्वारा तैयार किए गये UPUMS Condemnation &amp; Disposal (C&amp;D) Policy-2022 के ड्राफ्ट पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। <u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन:</u> समिति द्वारा तैयार किए गये UPUMS Condemnation &amp; Disposal (C&amp;D) Policy-2022 के ड्राफ्ट पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय - मा0 कार्य परिषद द्वारा <b>UPUMS Condemnation &amp; Disposal (C&amp;D) Policy-2022</b> के ड्राफ्ट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-4 विश्वविद्यालय में चयन समिति हेतु आमंत्रित विषय विशेषज्ञों एवं विभिन्न समितियों में आमंत्रित किये जाने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स हेतु निर्धारित मानदेय की दरों एवं वायुयान से यात्रा के संबंध में अधिकृत श्रेणी से यात्रा भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में</p>	<p><u>प्रस्ताव:</u> कार्यालय आदेश सं0 4086/यूपीयूएमएस/प्रशासन(80)/2022-23 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा विषय विशेषज्ञों/टेक्निकल एक्सपर्ट्स हेतु निर्धारित प्रतिदिन मानदेय की दरें एवं वायुयान से यात्रा के संबंध में अधिकृत श्रेणी से यात्रा भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में जारी आदेश पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय - विषय विशेषज्ञों/टेक्निकल एक्सपर्ट्स हेतु निर्धारित प्रतिदिन मानदेय की दरें एवं वायुयान से यात्रा के संबंध में अधिकृत श्रेणी से यात्रा भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में जारी आदेश पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इटावा उ0प्र0

**एजेण्डा बिन्दु 11-5**  
विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कृत कार्यवाही पर कार्यान्वयन अनुमोदन के संबंध में

**कृत कार्यवाही:** एच0आर0 समिति द्वारा चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों से संबंधित कार्यवृत्त जो कि लिफाफों में सीलबंद सुरक्षित रखी गई थीं, को खोलकर परिणाम घोषित करने की कार्यवाही की गई व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। एच0आर0 समिति द्वारा विज्ञापनवार/पदवार घोषित किये गये परिणाम से संबंधित विवरण निम्नवत् है:-  
Advt. No.: UPUMS/ACAD/21/2022-23 Dated: 27/07/2022 (Medical Officer/Casualty Medical Officer) - एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त रक्षित है:-

S. No.	Name of posts	Name of candidates	F/H Name	Category
1		Mohammad Najmul Islam	Mohammad Fakharul Islam	UR
2		Apurv Pandey	Ashok Pandey	UR
3	Medical Officer /Casualty	Raushan Kumar Singh	Devendra Singh	UR
4	Medical Officer	Sushama Yadav	Ram Lakhan Singh Yadav	UR
5		Saurabh Yadav	Ramesh Chandra Yadav	OBC
6		Ayush Kumar	C.J Yadav	OBC
7		Reena Rani Verma	Dheer Singh	SC
8		Santosh Kumar	Tilak Ram	SC

Advt. No.: UPUMS/ACAD/21/2022-23 Dated:27/07/2022 (Faculty Positions) - एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त रक्षित है:-

S.No	Name of departments	Name of posts	Name of candidates	F/H Name
1	Blood Bank	Assistant Professor	Dr. Aditya Shivhare	Dr. Nayan Shivhare
2		Assistant Professor	Dr. Jyoti Kaia Bharti	Sh. Anoop Kumar
			Dr. Arvind Kumar Singh (Wait Listed)	Sh. Devi Prasad Singh
3	Trauma Anesthesiology	Professor	Dr. Prashant Kumar Mishra	Sh. Anil Kumar Mishra
4	ENT	Assistant Professor	Dr. Sanjeev Kumar Yadav	Sh. Ummad Singh Yadav
5	Neurosurgery	Assistant Professor	Dr. Anuj Chabra	Sh. Surjit Singh
6	Dentistry	Professor	Dr. Rajesh Kumar Thakur	Sh. Shyam Lal Thakur
7	Pharmacology	Professor	Dr. Hariom Kumar Singh	Sh. Ram Kumar Singh
8	General Surgery	Associate Professor	Dr. Ram Lakhan Singh Verma	Late Sh. Rati Ram Verma
9	General Surgery	Assistant Professor	Dr. Gaurav Mishra	Sh. Anand Kumar Mishra
10	Obstetrics & Gynecology	Assistant Professor	Dr. Shilpi Srivastava	Dr. Chandan Sharma
11	PMR	Assistant Professor	Dr. Vinay Kanaujia	Sh. Ram Dutt Kanaujia
12			Dr. Suvrat Gupta (Wait Listed)	Sh. Dharm Prakash Gupta

Advt.No. UPUMS/ACAD/24/2022-23 dated:13-12-2022 (Faculty Positions in various broad specialities, super specialities & Speech Therapist for hospital services) - एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त रक्षित है:-

S.No.	Name of departments	Name of posts	Name of candidates	F/H Name
1	Orthopedics	Associate Professor	Dr. Ajay Kumar Rajput	Sh. Sunder Singh
2	Pediatric Surgery	Associate Professor	Dr. Rafey Abdul Rahman T. Ahmad	Mr. Tasneem Ahmad
3	Obstetrics & Gynecology	Assistant Professor	Dr. Anuradha	Sh. Prem Singh
4	C.V.T.S.	Assistant Professor	Dr. Varun Sisodia	Dr. Hukum Singh Sisodia
5	Radio- diagnosis	Assistant Professor	Dr. Sanjeev Kumar	Late Sh. Rajendra Singh
6	ENT/PMR	Speech Therapist	Ms. Rashu	Sh. Rajendra Prasad Gupta
7			Mr. Kanhaiya Jha	Sh. Dilip Jha (Wait Listed)
8			Mr. Ankit Kumar Singh	Sh. Vikram Singh

Advt.No. UPUMS/ACAD/27/2022-23 dated: 04-02-2023 (Medical Faculty on Regular/Contractual Basis) - एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त रक्षित है:-

S. No.	Name of departments	Name of posts	Name of candidates	F/H Name
1	Anesthesiology	Assistant Professor	Dr. Sapna Yadav	Sh. Gaurav Chauhan
2	Cardiology	Assistant Professor	Dr. Ashish Sharma	Sh. Lakshmi Narayan Sharma
3	Forensic Medicine	Professor	Dr. Pushpendra Singh	Sh. Hari Nath Singh
4	Nephrology	Assistant Professor	Dr. Shalini Priya	Dr. Aditya Shivhare

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उप0 आर0 विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

5	Obs. & Gynae	Assistant Professor	Dr. Namrata Verma	Dr. Sudhanshu Sant
6	Pediatrics	Assistant Professor	Dr. Muniba Alim	Dr. Rafey Abdul Rahman Tasneem
7	Pediatrics Surgery	Assistant Professor	Dr. Survesh Kumar Gupta	Sh. Shrikant Gupta

वि०सं० 16/यूपीयूएमएस/चयन प्रकोष्ठ(367)/2020-21 दिनांक 14.07.2021 (नर्सिंग संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु रिक्त पद) – एच०आर० समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त रक्षित है:-

S. No.	Name of faculty	Name of posts	Name of candidates	F/H Name
1	Nursing	Assistant Professor	Mr. Sandeep Arya	Sh. Dharmvir Arya
2		Assistant Professor	Mr. Vikash Bhaskar	Sh. R.S. Baskar
3		Assistant Professor	Mr. Pramod Kuamr	Sh. Jai Kishan
4		Assistant Professor	Ms. Sony Verma	Sh. R.K. Verma
5			Mr. Pradeep Kumar (Wait Listed)	Sh. HARI KRISHAN
6			Ms. Kirti Verma (Wait Listed)	Sh. MOHAN SINGH
7		Lecturer	Ms. Samundy Kumbhkar	Sh. BISWARUP KUMBHAKAR
8			Ms. Mohika Bhusan	Sh. DUSHYANT KUMAR
9			Ms. Kaipana Lodhi (Wait Listed)	Sh. Raghvendra Singh Rajput
10		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Mr. ANCHAL GUPTA	Sh. BRAJENDRA KUMAR GUPTA
11		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Mr.PRADEEP KUMAR	Sh. RAJESH KUMAR
12		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Mr. ANKIT RAJ	Sh. ARVIND KUMAR
13		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Ms. TARANGINI MAURYA	Sh. CHANDRA BHAN MAURYA
14		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Ms. PAWANPREETKAUR RATTAN	LATE MANJIT SINGH RATTAN
15		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Ms. SAUMYA PRAKASH SRIVASTAVA	Sh. SHYAM PRAKASH SRIVASTAVA
16		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Ms. KIRTI SINGH	Sh. NEK RAM SINGH
17		DEMONSTRATOR/RESIDENT	Ms. PRIYANSHI DIXIT	Sh. MANOJ KUMAR
18			Ms. Priyanka Shukla (Wait Listed)	Sh. ASHISH DANDOTIA
19			Ms. Asha Kumari (Wait Listed)	Sh. BANI SINGH


चिकित्सा संकाय के कतिपय विभागों में प्रवक्ता/लेक्चरर के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रदान की गई वैयक्तिक प्रोन्नति – प्रवक्ता/लेक्चरर पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को असिस्टेंट प्रोफेसर का पदनाम तथा वेतन बैंड एवं एकेडमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करने संबंधी शासनादेश सं० 1379/71-4-18-एस-01/2017 दिनांक 21.12.2018 में निहित व्यवस्था के क्रम में दिनांक 26.07.2023 एवं 28.07.2023 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों/कार्यवृत्त से संबंधित सीलबंद लिफाफों को एच०आर० समिति द्वारा खोला गया एवं निम्नलिखित संकाय सदस्यों की वैयक्तिक प्रोन्नति हेतु संस्तुति की गई:-

Personal Promotion from Lecturer to Assistant Professor (Pay Band-3 Rs. 15600-39100, Academic Grade Pay Rs. 8000/- / Level 12-A Pay Scale Rs. 101500-167400)			
S.No.	Name	Department	Effective Date of Promotion
1	Sri Nand Kishor Gupta	Anatomy	01.07.2019
2	Sri A.N. Gayasuddin Hyder	Physiology	01.07.2019
3	Dr. Vinay Kumar Gupta	Pharmacology	01.07.2019
4	Dr. Atul Mishra	Radiotherapy	01.07.2020

विभागीय प्रोन्नति समिति का कार्यवृत्त, एच०आर० समिति का कार्यवृत्त तथा प्रोन्नति आदेश रक्षित है।

**प्रस्ताव:** वि०सं० UPUMS/ACAD/21/2022-23 दिनांक 27.07.2022 के द्वारा Faculty Positions/Medical Officer/Casualty Medical Officer के रिक्त पदों, वि०सं० UPUMS/ACAD/24/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा Faculty Positions in various broad specialities, super specialities & Speech Therapist for hospital services के रिक्त पदों एवं वि०सं० UPUMS/ACAD/27/2022-23 दिनांक 04.02.2023 के द्वारा Medical Faculty on Regular/Contractual Basis के रिक्त पदों व वि०सं० 16/यूपीयूएमएस/चयन प्रकोष्ठ(367)/2020-21 दिनांक 14.

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सफई, इटावा, उ०प्र०

07.2021 द्वारा नर्सिंग संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु रिक्त पदों पर चयन के संबंध में चयन समिति एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुतियों से संबन्धित कार्यवृत्त जो कि लिफाफों में सीलबंद सुरक्षित रखी गई थी, को एच0आर0 समिति द्वारा खोलकर परिणाम घोषित करने की कार्यवाही व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – 1. विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में चयन समिति के कार्यवृत्त पर एच0आर0 समिति की संस्तुतियों के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. उक्त के अतिरिक्त लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की गई वैयक्तिक प्रोन्नति विषयक संस्तुतियों पर एच0आर0 समिति की संस्तुतियों के उपरांत प्रोन्नति की कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु 11-6**  
विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के मृतक सरकारी सेवक स्व0 श्री संजीव कुमार धीर, डिमॉन्स्ट्रेटर के आश्रित श्री देवेन्द्र कुमार (भाई) को प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में

**कृत कार्यवाही:** "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्रावधानों के अनुसार मृतक सरकारी सेवक स्व0 श्री संजीव कुमार धीर, डिमॉन्स्ट्रेटर, नर्सिंग संकाय के आश्रित श्री देवेन्द्र कुमार (भाई), पुत्र श्री पृथ्वी सिंह को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	मृतक कार्मिक का नाम, पदनाम, वेतनमान एवं योगदान तिथि	देहान्त की तिथि	मृतक कार्मिक के आश्रित का विवरण जिन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी	
			नाम एवं मृतक कार्मिक से संबंध	पदनाम एवं वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्व0 श्री संजीव कुमार धीर, डिमॉन्स्ट्रेटर, नर्सिंग संकाय (लेवल-10) पै मैट्रिक्स रू0 56100-177500 योगदान तिथि 24.07.2015	10.12.2022	श्री देवेन्द्र कुमार (भाई)	लेब असिस्टेंट, (लेवल-4) पै मैट्रिक्स रू0 25500-81100

**प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय में कार्यरत मृतक सरकारी सेवक स्व0 श्री संजीव कुमार धीर, डिमॉन्स्ट्रेटर के आश्रित श्री देवेन्द्र कुमार (भाई) को "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय में कार्यरत मृतक सरकारी सेवक स्व0 श्री संजीव कुमार धीर, डिमॉन्स्ट्रेटर के आश्रित श्री देवेन्द्र कुमार (भाई) को प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु 11-7**  
विज्ञापन सं0 02/UPUMS/CET/2022-23 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा Common Eligibility Test के

**प्रस्ताव:** विज्ञापन सं0 02/UPUMS/CET/2022-23 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा Common Eligibility Test के आधार पर स्टाफ नर्स (लेवल-7 मैट्रिक्स रू0 44900 रू0 142400) के 220 पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष सफल घोषित किये गये 74 अभ्यर्थियों में से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरांत



Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor



कुलसचिव  
उप0 आर0 विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, बटावा, उ0प्र0

आधार पर स्टाफ नर्स के 220 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में	कुल 59 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी प्रकरण में मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय – विज्ञापन सं0 02/UPUMS/CET/2022-23 दिनांक 20.01.2023 के सापेक्ष <b>Common Eligibility Test</b> के आधार पर स्टाफ नर्स (लेवल-7 मैट्रिक्स रू0 44900 रू0 142400) के पद पर चयनित कुल 59 अभ्यर्थियों को जारी किये गये नियुक्ति पत्र के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-8</b> राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 की 150 सीटों हेतु प्रदान की गई मान्यता/200 सीटों पर प्रवेश की अनुमति एवं पी0जी0 सीटों (एनाटॉमी, पैथोलॉजी एवं रेस्पिरेटरी मेडिसिन) की वृद्धि के संबंध में</p>	<p><b>एम0बी0बी0एस0:</b> प्रस्ताव: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 की 150 सीटों की मान्यता एवं कुल 200 सीटों पर प्रवेश की अनुमति के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।</p> <p><b>पी0जी0:</b> प्रस्ताव: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा एनाटॉमी विभाग में 05 से 13 सीट, पैथोलॉजी विभाग में 04 से 17 सीट तथा रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 03 से 05 सीट की वृद्धि के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।</p>
कार्य परिषद का निर्णय – राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 की 150 सीटों हेतु प्रदान की गई मान्यता/200 सीटों पर प्रवेश की अनुमति एवं पी0जी0 सीटों (एनाटॉमी, पैथोलॉजी एवं रेस्पिरेटरी मेडिसिन) की वृद्धि के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-9</b> मा0 कार्य परिषद की दसवीं बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर गैर-शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 के संबंध में मा0 कार्य परिषद को अवलोकित कराया जाना।</p>	<p>अवगत कराना है कि कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2012 के उपरान्त विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक पदधारकों को 10 वर्ष की सेवा/अर्हता पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य की गयी जिसे कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>प्रस्ताव: कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2012 के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर गैर-शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 की व्यवस्था से कार्य परिषद अवगत होना चाहें।</p>
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय स्तर पर गैर-शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-10</b> मा0 कार्य परिषद की दसवीं बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर गैर-शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी पदोन्नति से अवलोकित कराया जाना।</p>	<p>अवगत कराना है कि कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2012 के उपरान्त विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक पदधारकों को सेवा/अर्हता पूर्ण करने पर पदोन्नति अनुमन्य की गयी जिसे कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>प्रस्ताव: कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2012 के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर गैर-शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी पदोन्नति से कार्य परिषद अवगत होना चाहें।</p>
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय स्तर पर गैर-शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी पदोन्नति के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
रीफाई, इटावा, उ0प्र0

एजेण्डा बिन्दु 11-11

**Status Report of MRU**

**The status report pertaining to the MRU are as under:**

1. Multi Disciplinary Research Unit under aegis of DHR, MoHFW, Govt. of India had been established on 23 September, 2015.
2. A Research Lab had been prepared for Rs. 35.49 Lac. Out of Rs. 35.49 Lac, Rs. 25.00 Lac were allocated from the DHR and remaining expenditure of Rs. 10.49 Lac were met out from the University Funds.
3. Total Sixteen equipments have been procured till now for research activities. All the equipments are covered either under warranty of CMC. Details of these are as under:
  - (i) Automatic Peppette
  - (ii) Biosafety Cabinet
  - (iii) Multi Channel Peppete
  - (iv) Microfuse
  - (v) Electronic Weighing Machine
  - (vi) Freezer - 70 DC
  - (vii) Incubator
  - (viii) Autoclave
  - (ix) Elisa Reader with washer
  - (x) Auto Analyser
  - (xi) Microfuse Binocular Light
  - (xii) Freezer - 20 DC
  - (xiii) Electronic pH Meter
  - (xiv) Microscope Fluroscent
  - (xv) Vortex
  - (xvi) Hot Air Oven
4. Total authorised staff of 05 members (Research Scientist II-01, Research Scientist I-01, Lab Technician-02 and Lab Assistant-01) have been recruited and are working satisfactorily.
5. Revised Local Research Advisory Committee (LRAC) had been constituted 20 March 2023.
6. 05 research projects earlier approved by LRAC are under progress. New four projects have been received and awaiting for LRAC approval for further proceedings.
7. 01 review paper is under communication and will be finalized shortly.
8. Total 8 projects have been submitted in other funding agencies (i) DST-01 (ii) ICMR-06 (iii) Bill & Milinda Gates Foundation-01 for extra mural grants. One project from DST-SERB has now been provisionally accepted.

**Agenda Submitted for perusal:** Executive Council may like to know the status report pertaining to the MRU as mentioned above.


कार्य परिषद का निर्णय – एम0आर0यू0 की उपरोक्त स्टेटस रिपोर्ट से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।


  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इटावा, उ0प्र0



<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-12</b> विश्वविद्यालय में रिसर्च संबंधी समस्त गतिविधियों हेतु जारी की गई <b>Guidelines, SOPs &amp; Proforma for Research Activites of UPUMS, Saifai-2023</b> पर अनुमोदन के संबंध में</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> विश्वविद्यालय में रिसर्च संबंधी समस्त गतिविधियों हेतु जारी की गई <b>Guidelines, SOPs &amp; Proforma for Research Activites of UPUMS, Saifai-2023</b> पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय में रिसर्च संबंधी समस्त गतिविधियों हेतु जारी की गई <b>Guidelines, SOPs &amp; Proforma for Research Activites of UPUMS, Saifai-2023</b> पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-13</b> विश्वविद्यालय की <b>Institutional Research Committee (IRC)</b> के गठन के सम्बन्ध में।</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> एस0ओ0पी0 में निर्धारित संरचना के अनुसार विश्वविद्यालय की <b>Institutional Research Committee</b> के गठन संबंधी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद का कार्योत्तर अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय की <b>Institutional Research Committee</b> के गठन संबंधी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-14</b> <b>Institutional Ethics Committee</b> के गठन एवं डी0जी0एच0एस0 से अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> एथिक्स कमेटी के कार्यों का सम्पादन सुचारु ढंग से किए जाने हेतु अनुमोदित <b>SOP</b>, गठित <b>Institutional Ethics Committee</b> एवं अब तक सम्पादित की गई कार्यवाहियों पर मा0 कार्य परिषद से अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – एथिक्स कमेटी के कार्यों का सम्पादन सुचारु ढंग से किए जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदित <b>SOP</b>, गठित <b>Institutional Ethics Committee</b> एवं अब तक सम्पादित की गई कार्यवाहियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-15</b> विश्वविद्यालय के ब्लड बैंक का नामकरण ट्रांस्फ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) किये जाने के संबंध में।</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश सं0 280291/2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023 के द्वारा एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार ट्रांस्फ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) के अन्तर्गत सृजित किये गये अतिरिक्त पदों के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 868/यूपीयूएमएस/अधि0-1(775-सी.डी.)/2022-23 दिनांक 07 जून, 2023 के द्वारा ब्लड बैंक/ब्लड सेंटर का नामकरण ट्रांस्फ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) किये जाने संबंधी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया जाना एवं कृत कार्यवाही पर अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के ब्लड बैंक/ब्लड सेंटर का नामकरण ट्रांस्फ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) किये जाने संबंधी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-16</b> <b>To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in UPUMS,</b></p>	<p><b>Proposal:</b> For the appointment of ombudsperson following appointment, tenure, removal and conditions of services are recommended: i) Each University shall appoint Ombudsperson for redressal of grievances of students of the university and</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

<p>as well as those seeking admission to UPUMS, and a mechanism thereto.</p>	<p>colleges/institutions affiliated with the university under these regulations.</p> <p>ii) There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudsperson to hear, and decide on, appeals preferred against the decisions of the SGRCs.</p> <p>iii) The Ombudsperson shall be a retired Vice-Chancellor or a retired Professor (who has worked as Dean/HOD) and has 10 years' experience as a Professor at State/Central Universities/Institutions of National Importance/Deemed to be Universities or a former District Judge.</p> <p>iv) The Ombudsperson shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his/her tenure as Ombudsperson, be in conflict of interest with the Institution where his/her personal relationship, professional affiliations or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgement towards the Institution.</p> <p>v) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he/she attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term.</p> <p>vi) For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the respective university and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred on conveyance.</p> <p>vii) The University may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehaviour.</p> <p>viii) No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by a person, not below the rank of a retired judge of the High Court in which a reasonable opportunity of being heard is given to the Ombudsperson.</p> <p><b>Approval required on the proposal:</b> To appoint Ombudsperson, Dr. G.K. Singh, Retired Professor, Department of Orthopaedic, KGMU; and Ex-Director AIIMS, Patna name is proposed. The Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the respective university and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred in conveyance.</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – Hon'ble Executive Council has approved the name of Dr. G.K. Singh, Retired Professor, Department of Orthopaedic, KGMU; and Ex-Director AIIMS, Patna as Ombudsperson, as proposed. The Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the university and shall be eligible for reimbursement of the expenditure incurred in conveyance.</p>	
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-17 To make quality the defining</p>	<p><b>Proposal:</b> All faculty members working in the university are required to follow Format for Internal Academic and</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उपग्रह आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ०५१०

<p>element of University education through a combination of self and external quality evaluation, promotion and sustenance initiatives by implementing IQAC guidelines.</p>	<p>Administrative Audit as prescribed by IQAC and also provide timely duly filled Formats as released by IQAC cell.</p> <p><b>Approval required on the proposal:</b> Till date numerous formats including Format for Internal Academic and Administrative Audit, Patient feedback form, Students feedback form on Curriculum, Teachers feedback form on Curriculum, Employer's feedback on employee form etc have been developed and need the approval in EC.</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – Hon'ble</p>	<p><b>Executive Council has given its approval on the formats for Internal Academic and Administrative Audit, Patient feedback form, Students feedback form on Curriculum, Teachers feedback form on Curriculum, Employer's feedback on employee form etc.</b></p>
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-18</p> <p>In relation to the participation of the University in various grading institutions established by the Government of India.</p>	<p><b>Background:</b> Various committees have been formed in the university for the purpose of grading and accreditation by NIRF and NAAC respectively.</p> <p><b>Basis of Proposal:</b> The grading and accreditation of institutions/University under NIRF and NAAC has been established by the Government of India for the ranking of Universities, which would be mandatory in the coming times. According to U.P. Govt. Office Memorandum No.-108/2021/2499/26-3-2021-4(458)07 T.C.-III, dated 21st September, 2021, "All Central/State/Private/Deemed etc. universities and educational institutions recognized by the central/state government will have to get grading from NAAC (National assessment and accreditation council) by the year 2024. From the year 2025-26, educational allowance and the reimbursement will be admissible to the students studying in universities and educational institutions that have received grading according to the year 2025.</p> <p><b>Proposal:</b> The action taken till date by the University regarding grading and accreditation from NIRF and NAAC process has to be informed to Hon'ble Executive Council.</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – Hon'ble</p>	<p><b>Executive Council is informed on action taken by the University for rank/accreditation grade from NIRF and NAAC.</b></p>
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-19</p> <p>नैतिक समीक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत होने के लिए अनुसंधान नैतिकता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में प्रतिभाग को प्रोत्साहित करने/अनुमति देने के लिए पशु चिकित्साअधिकारी एवं पशु आचार समिति (Institutional Animal Ethics Committee-IAEC) के सदस्यों को अनुमति के लिए अनुमोदन</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> सीपीसीएसईए/सीसीएसईए के दिशानिर्देशों और आईईसी के निर्णय के आधार पर, मा0 कार्य परिषद से, पशु चिकित्साअधिकारी और संस्थागत पशु आचार समिति के सदस्यों को नैतिक समीक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जागरूक होने के लिए अनुसंधान नैतिकता में 01 प्रतिवर्ष (रु0 10,000/- तक व्यय सीमा के अन्तर्गत) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में प्रतिभाग को प्रोत्साहित करने/भाग लेने की अनुमति देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

<p>कार्य परिषद का निर्णय – सीपीसीएसईए/सीसीएसईए के दिशा-निर्देशों और आईईसी के निर्णय के आधार पर, पशु-चिकित्सा अधिकारी और संस्थागत पशु आचार समिति के सदस्यों को नैतिक समीक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जागरूक होने के लिए अनुसंधान नैतिकता में 01 प्रतिवर्ष (रु0 10,000/- तक व्यय सीमा के अन्तर्गत) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मेलन में प्रतिभाग करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-20</b> उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के एनीमल हाउस में स्टाफ की कमी को पूर्ण करने के लिए नये पदों के सृजन एवं भर्ती करने हेतु अनुमोदन</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> आई0सी0एम0आर0 एवं सीपीसीएसईए के दिशा-निर्देशों और आईईसी के निर्णय के अनुपालन में मानदंडों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त 01 पशुचिकित्सक (वेटेरिनरी ऑफीसर), 02 तकनीकी स्टाफ (लैब टेक्नीशियन), एवं 04 एनीमल अटेन्डेन्ट के पदों के सृजन एवं भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – आई0सी0एम0आर0 एवं सीपीसीएसईए के दिशा-निर्देशों और आईईसी के निर्णय के अनुपालन में मानदंडों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त 01 पशुचिकित्सक (वेटेरिनरी ऑफीसर), 02 तकनीकी स्टाफ(लैब टेक्नीशियन), एवं 04 एनीमल अटेन्डेन्ट के पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश जारी किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-21</b> विश्वविद्यालय हेतु एन0एम0सी0 मानक के आधार पर सृजित गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के सृजन विषयक शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के क्रियान्वयन के संबंध में</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 द्वारा शासनादेश सं0 71-4099/1051 /2022-4-दिनांक 24.02.2023 के क्रम में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के कैंडर पुनर्गठन हेतु दिनांक 13.04.2023, दिनांक 15.04.2023 एवं दिनांक 29.05.2023 को सम्पन्न बैठकों में की गई निम्नलिखित संस्तुतियों को लागू किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों हेतु नव सृजित कैंडर हेतु सेवा शर्तों का निर्धारण:- विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासनादेश दिनांक 19.05.2016 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पदनाम, वेतनमान योग्यता एवं अनुभव, कार्य एवं दायित्व, वेतन एवं भत्ते, पदोन्नति एवं सेवा शर्तें एस0जी0पी0जी0आई0 के अनुसार ही रखे जाएंगे। विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय तथा फार्मसी संकाय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों हेतु सेवा शर्तों का निर्धारण:- इसके साथ ही विश्वविद्यालय हेतु जारी नव सृजित कैंडर पुनर्गठन शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मसी संकाय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पदनाम, वेतनमान योग्यता एवं अनुभव, कार्य एवं दायित्व, वेतन एवं भत्ते, पदोन्नति एवं सेवा शर्तें भी अनुमन्य होंगी।</li> <li>2. नव सृजित कैंडर के अनुसार पदों का संविलन (merger into the new system):- कैंडर पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों को शासनादेश सं0 71-4099/1051/2022 -4-</li> </ol>



Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor



कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सेफई, इटावा, उ0प्र0

	<p>दिनांक 24.02.2023 के क्रम में वर्तमान कैडर के प्रवेशित स्तर (entry level) पर कार्यरत कार्मिक को नवगठित कैडर के प्रवेशित स्तर (entry level) का ही लाभ प्रदान किया जाएगा तथा एम0ए0सी0पी0/उच्चीकरण को आधार बनाकर पदोन्नति का पद प्रदान नहीं किया जाएगा।</p> <p>3. नव सृजित पदों के सापेक्ष पूर्व से सृजित पदों का मानक के अनुसार फिटमेंट (<b>Exist fitment promotion</b>):- पूर्व से पदोन्नत (promoted) पदों पर कार्यरत कार्मिकों को उनके वर्तमान पद के अनुसार नवीन कैडर पुनर्गठन शासनादेश दिनांक 24.02.2023 में यथा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समान पद (equivalent post) पर पदस्थापित किया जाएगा।</p> <p>4. संविलन (<b>merger</b>) के उपरान्त पदोन्नति नीति का निर्धारण (<b>Promotion policy thereafter merger</b>):- एन0एम0सी0 मानक के अनुसार सृजित पदों हेतु जारी शासनादेश दिनांक 24.02.2023 में जिन पदों पर इन्ट्री लेवल (entry level) में पूर्व सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिकों के पदों का संविलन (merger) किया जाएगा उनकी पद की योग्यता, अनुभव, वेतनमान एवं उनकी Length of Service को ध्यान में रखते हुए शासनादेश में उल्लिखित प्रारम्भिक पद पर संविलन करते हुए कार्मिकों की वरिष्ठता के क्रम में रिक्त पदों पर पदोन्नति/पदोन्नतियाँ प्रदान की जाएगी।</p> <p>5. जिन पदों का उल्लेख नवीन कैडर पुनर्गठन शासनादेश में नहीं है उनके फिटमेंट एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में (<b>Not Exist Fitment Promotion</b>):- विश्वविद्यालय में पूर्व से ऐसे सृजित पद जिनका उल्लेख नवीन कैडर पुनर्गठन शासनादेश में नहीं है, उक्त पदों हेतु शासनादेश के प्रस्तर-2 के बिन्दु सं0 02 में यह व्यवस्था है कि "यदि कोई ऐसा पद पूर्व में सृजित है जो उक्त मानक में नहीं है तो शासनादेश दिनांक 05.09.2022 के प्रस्तर 2(12) के अनुसार ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के साथ शून्य समर्पित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी"।</p> <p>विश्वविद्यालय में कतिपय ऐसे पद हैं जो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम एवं चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार पूर्व में सृजित किए गए थे तथा उनकी वर्तमान में आवश्यकता भी है और उनकी Length of Service भी अधिक है ऐसे कार्मिकों की सेवाओं को बनाए रखने हेतु उनकी पदनाम, वेतनमान, योग्यता, अनुभव, कार्य की प्रकृति आदि की दृष्टि से उनसे सम्बन्धित संवर्ग के equivalent पदों पर उनका संविलन (merger) करने पर विचार किया जायेगा।</p> <p>शासनादेश की उक्त व्यवस्था के अनुसार ऐसे कार्मिक जिनका पद Dying Cadre की श्रेणी में है, उन</p>
--	---

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor


  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

	<p>कार्मिकों हेतु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ की पूर्व की व्यवस्था के अनुसार कैडर लागू रहेगा तथा तदनुसार उन्हें पदोन्नति एवं अन्य हितलाभ अनुमन्य रहेंगे।</p> <p>6. विश्वविद्यालय में उपरोक्तानुसार कैडर पुनर्गठन होने के पश्चात भी पुर्नपदनामन/संविलन /पदोन्नति (nomenclature/merger/promotion) का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक nomenclature/merger /promotion से पूर्व के पद के कार्य करते रहेंगे।</p> <p>7. विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के कैडर का पुनर्गठन, बेड की मानक क्षमता के आधार पर करने हेतु:- कैडर पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित बैठकों के प्रथम चरण में 1000 बेड के आधार पर (merger/promotion/Recruitment) की कार्यवाही की जाएगी तथा भविष्य में विश्वविद्यालय में बेड की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखते हुए 1500 बेड तथा 1800 बेड की मानक क्षमता के अनुसार पदोन्नति/नियुक्तियाँ (promotion/Recruitment) की जाएंगी।</p> <p>8. विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय तथा फार्मैसी संकाय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का विश्वविद्यालय/चिकित्सा संकाय के गैर शैक्षणिक पदों के संबंधित संवर्ग में संविलन:- विश्वविद्यालय हेतु शासन द्वारा जारी अधिनियम एवं शासनादेश दिनांक 19.05.2016 एवं गैर शैक्षणिक पदों के कैडर पुनर्गठन हेतु जारी कार्यालय आदेश/पत्रांक सं0 503/यू0पी0यू0एम0एस0/अधि0/2023-23 दिनांक 13.05.2023 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मैसी संकाय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के सृजित/भरे गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का संविलन इस विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के पदों में ही समानता को ध्यान में रखकर संबंधित संवर्गों में किया जाएगा तथा पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मैसी संकाय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के वेतनमान योग्यता एवं अनुभव, कार्य एवं दायित्व, वेतन एवं भत्ते, पदोन्नति एवं सेवा शर्तें भी विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के गैर शैक्षणिक पदों के समान रहेंगी।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय - चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 द्वारा शासनादेश सं0 71-4099/1051/2022-4-दिनांक 24.02.2023 के क्रम में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव के उपरोक्त बिंदु-1 से 8 पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-22 वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से मुख्य लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु मा0</p>	<p>प्रस्ताव:- श्री विपिन कुमार द्वारा दिनांक 11.11.2019 को मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता पूर्ण कर ली गयी थी, तदसमय विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा संवर्ग में एक पद मुख्य लेखाधिकारी वेतन बैंड 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- में सृजित था, विश्वविद्यालय में शासनादेश</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

कार्य परिषद का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से मुख्य लेखाधिकारी के पद को वित्त एवं लेखा विभाग की संवर्ग संरचना में नहीं रखा गया है, जिसके कारण श्री विपिन कुमार की प्रोन्नति प्रभावित हो रही है। उक्त के दृष्टिगत श्री विपिन कुमार को वरिष्ठ लेखाधिकारी वेतन मैट्रिक्स रू0 67700-146400 लेवल-11 से मुख्य लेखाधिकारी वेतन मैट्रिक्स रू0 78800-170100 लेवल-12 में पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।																		
कार्य परिषद का निर्णय – श्री विपिन कुमार को वरिष्ठ लेखाधिकारी से मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।																			
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-23</b> विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना</p>	<p><b>प्रस्तावना:</b> अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत है:-</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 750 821 918">एजेण्डा बिन्दु 5-(1)</td> <td data-bbox="821 750 1525 918">विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि प्रस्ताव- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="678 918 1525 985">निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 985 821 1153">एजेण्डा बिन्दु 5-(2)</td> <td data-bbox="821 985 1525 1153">विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्ताव - विद्या परिषद उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="678 1153 1525 1220">निर्णय:- विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1220 821 1265">एजेण्डा बिन्दु</td> <td data-bbox="821 1220 1525 1265">चिकित्सा संकाय</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1265 821 1500">5-(3.1)</td> <td data-bbox="821 1265 1525 1500">चिकित्सा संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु <b>External Examiners/Internal Examiners &amp; Thesis Evaluation Examiners</b> के पैनल के संबंध में प्रस्ताव: चिकित्सा संकाय की विभागवार बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुत External Examiners/Internal Examiners &amp; Thesis Evaluation Examiners के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="678 1500 1525 1612">निर्णय:-चिकित्सा संकाय की विभागवार बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुत <b>External Examiners/Internal Examiners &amp; Thesis Evaluation Examiners</b> के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1612 821 1825">5-(3.2)</td> <td data-bbox="821 1612 1525 1825"><b>Establishment of Oral &amp; Maxillofacial Department to start Post Graduation (MDS) Course.</b> <b>Proposal:</b> Establishment of an Oral &amp;Maxillofacial Department alongwith the Post Graduate Course (MDS) in Dentistry is of utmost importance for the betterment of our institution and the community it serves.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="678 1825 1525 1968">निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा <b>Oral &amp; Maxillofacial Department</b> की स्थापना के साथ परास्नातक (एम0डी0एस0) कोर्स को प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि यह कार्यवाही एस0ए0एफ0 में इंगित कमियों को पूर्ण करने के उपरांत ही प्रारम्भ की जाये।</td> </tr> </table>	एजेण्डा बिन्दु 5-(1)	विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि प्रस्ताव- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।	निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।		एजेण्डा बिन्दु 5-(2)	विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्ताव - विद्या परिषद उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।	निर्णय:- विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।		एजेण्डा बिन्दु	चिकित्सा संकाय	5-(3.1)	चिकित्सा संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु <b>External Examiners/Internal Examiners &amp; Thesis Evaluation Examiners</b> के पैनल के संबंध में प्रस्ताव: चिकित्सा संकाय की विभागवार बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुत External Examiners/Internal Examiners & Thesis Evaluation Examiners के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	निर्णय:-चिकित्सा संकाय की विभागवार बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुत <b>External Examiners/Internal Examiners &amp; Thesis Evaluation Examiners</b> के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।		5-(3.2)	<b>Establishment of Oral &amp; Maxillofacial Department to start Post Graduation (MDS) Course.</b> <b>Proposal:</b> Establishment of an Oral &Maxillofacial Department alongwith the Post Graduate Course (MDS) in Dentistry is of utmost importance for the betterment of our institution and the community it serves.	निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा <b>Oral &amp; Maxillofacial Department</b> की स्थापना के साथ परास्नातक (एम0डी0एस0) कोर्स को प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि यह कार्यवाही एस0ए0एफ0 में इंगित कमियों को पूर्ण करने के उपरांत ही प्रारम्भ की जाये।	
एजेण्डा बिन्दु 5-(1)	विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि प्रस्ताव- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।																		
निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।																			
एजेण्डा बिन्दु 5-(2)	विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्ताव - विद्या परिषद उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।																		
निर्णय:- विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।																			
एजेण्डा बिन्दु	चिकित्सा संकाय																		
5-(3.1)	चिकित्सा संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु <b>External Examiners/Internal Examiners &amp; Thesis Evaluation Examiners</b> के पैनल के संबंध में प्रस्ताव: चिकित्सा संकाय की विभागवार बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुत External Examiners/Internal Examiners & Thesis Evaluation Examiners के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।																		
निर्णय:-चिकित्सा संकाय की विभागवार बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुत <b>External Examiners/Internal Examiners &amp; Thesis Evaluation Examiners</b> के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।																			
5-(3.2)	<b>Establishment of Oral &amp; Maxillofacial Department to start Post Graduation (MDS) Course.</b> <b>Proposal:</b> Establishment of an Oral &Maxillofacial Department alongwith the Post Graduate Course (MDS) in Dentistry is of utmost importance for the betterment of our institution and the community it serves.																		
निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा <b>Oral &amp; Maxillofacial Department</b> की स्थापना के साथ परास्नातक (एम0डी0एस0) कोर्स को प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि यह कार्यवाही एस0ए0एफ0 में इंगित कमियों को पूर्ण करने के उपरांत ही प्रारम्भ की जाये।																			

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

एजेण्डा बिन्दु	पैरामेडिकल विज्ञान संकाय
5-(4.1)	<p>पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षक पैनल के संबंध में (<b>Examiner panel for Bachelor Courses</b>)</p> <p>प्रस्ताव: बोर्ड ऑफ स्टडीज (पैरामेडिकल संकाय) की पूर्व बैठकों में संस्तुति प्राप्त पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ आप्टोमैट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियो इमेजिंग टैक्नोलॉजी एवं बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<p>निर्णय:- बोर्ड ऑफ स्टडीज (पैरामेडिकल संकाय) की पूर्व बैठकों में संस्तुति प्राप्त पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ आप्टोमैट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियो इमेजिंग टैक्नोलॉजी एवं बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(4.2)	<p>प्रश्न-पत्र प्रारूप के संबंध में (<b>Question paper pattern</b>)</p> <p>प्रस्ताव: बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुति प्राप्त उक्त पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रश्न-पत्र के प्रारूप एवं प्रश्न-पत्र बनाने के दिशा-निर्देशों पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<p>निर्णय:- बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुति प्राप्त पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ आप्टोमैट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियो इमेजिंग टैक्नोलॉजी एवं बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रश्न-पत्र के प्रारूप एवं प्रश्न-पत्र बनाने के दिशा-निर्देशों पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(4.3)	<p>एकेडमिक कलेंडर के संबंध में (<b>Academic calendar</b>)</p> <p>प्रस्ताव: बोर्ड ऑफ स्टडीज (पैरामेडिकल संकाय) की पूर्व बैठकों में संस्तुति प्राप्त पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के एकेडमिक कलेंडर को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<p>निर्णय:- बोर्ड ऑफ स्टडीज (पैरामेडिकल संकाय) की पूर्व बैठकों में संस्तुति प्राप्त पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के एकेडमिक कलेंडर को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(4.4)	<p>संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों से संबंधित नियमों (<b>Rules and Regulations</b>) एवं सिलेबस (<b>Syllabus</b>) के संबंध में</p> <p>प्रस्ताव: स्नातक पाठ्यक्रमों (BPT, BOPTOM, BRIT, BMLT) के Rules &amp; Regulations एवं Syllabus को NCAHP के Curriculum Revision के उपरान्त ही विश्वविद्यालय स्तर पर उक्तानुसार लागू किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<p>निर्णय:- स्नातक पाठ्यक्रमों (BPT, BOPTOM, BRIT, BMLT) के Rules &amp; Regulations एवं Syllabus को NCAHP के Curriculum Revision के उपरान्त ही विश्वविद्यालय स्तर पर उक्तानुसार लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(4.5)	<p>नवीन स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम के सेलेबस के संबंध में (<b>Syllabus for new Bachelor and Master Courses</b>)</p> <p>प्रस्ताव: (1) नवीन चार परास्नातक पाठ्यक्रमों (5 विशिष्टताओं) का सेलेबस, Rules &amp; Regulations एवं SAF को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना तथा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन दिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>(2) पाँच स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को NCAHP के Curriculum Revision एवं तदोपरान्त बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदनोपरान्त पुनः प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<p>निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव (1) के अनुसार नवीन चार परास्नातक पाठ्यक्रमों (5 विशिष्टताओं) यथा <b>Master of Physiotherapy, Master of</b></p>	

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor



कुलसचिव  
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ०प्र०



	<p><b>Optometry, Master of Medical Radiology and Imaging Technology and M.Sc. Medical Lab Technology</b> का सेलेबस, <b>Rules &amp; Regulations</b> एवं <b>SAF</b> को तथा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव (2) के अनुसार पाँच स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को <b>NCAHP</b> के <b>Curriculum Revision</b> एवं तदोपरान्त बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदनोपरान्त पुनः प्रस्तुत किया जाने पर सहमति व्यक्त की गई।</p>
5-(4.6)	<p><b>Revision of eligibility for promotion for BRIT/BPT/B.Optom/BMLT students to the next year</b></p> <p>प्रस्ताव: "A candidate who fails in theory or practical examination of a subject shall reappear in theory or practical as the case may be.</p> <p>If candidate fails in main examination of a particular year, he/she gets chance to appear in supplementary examination in one or total subjects as the case may be but if he/she still remains failed in more than 50% subjects he/she gets year back. If the candidate remains failed in less or equal to 50% subjects he/she can be promoted to the next year but he/she should clear all the papers before appearing in final year examinations. (As per Guidelines of INC and PCI)."</p> <p>The above change in the promotion policy is proposed.</p>
	<p>निर्णय:- उक्त प्रस्ताव पर आई०एन०सी० एवं पी०सी०आई० की गाईडलाइन के अनुसार छात्रों को प्रमोट किये जाने के संबंध में विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
5-(4.7)	<p><b>अन्य मामलों के संबंध में (Any other matter)</b></p> <p>प्रस्ताव: सातवीं बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में संचालित डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए टीचिंग लर्निंग एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित एम०आर०पी०, मास्टर एक्टिविटी कलेण्डर, कोर्स आऊट लाइन डिसक्रिप्शन, कोर्स फाइल डिसक्रिप्शन, इवेलुएशन, लैसन प्लान, यूनिट प्लान, मेन्टर-मेन्टी सिस्टम, अटेंडेस इत्यादि से संबंधित गाइड लाइन एवं प्रोफार्मा को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।</p>
	<p>निर्णय:- पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में संचालित डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए टीचिंग लर्निंग एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित एम०आर०पी०, मास्टर एक्टिविटी कलेण्डर, कोर्स आऊट लाइन डिसक्रिप्शन, कोर्स फाइल डिसक्रिप्शन, इवेलुएशन, लैसन प्लान, यूनिट प्लान, मेन्टर-मेन्टी सिस्टम, अटेंडेस इत्यादि से संबंधित गाइड लाइन एवं प्रोफार्मा पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
5-(4.8)	<p><b>पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के संकाय सदस्यों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में।</b></p> <p>प्रस्ताव: (1) डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू०जी०सी० के नियमानुसार एवं Career Advancement Scheme (CAS) की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किया जाने संबंधी कैंडर संरचना तैयार की गई है। उक्त प्रस्तावित है कैंडर संरचना को लागू किये जाने का प्रस्ताव है।</p> <p>(2) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 2021 एवं यूपीयूएमएस, 2012 के भर्ती नियमों के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किया जाने संबंधी कैंडर संरचना तैयार की गई है। उक्त प्रस्तावित है कैंडर संरचना को लागू किये जाने का प्रस्ताव है।</p>
	<p>निर्णय:- उक्त प्रस्ताव (1) डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू०जी०सी० के</p>



Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor



कुलसचिव  
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, हटावा, उ०प्र०

<p>नियमानुसार एवं Career Advancement Scheme (CAS) की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किया जाने संबंधी कैंडर संरचना एवं (2) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 2021 एवं यूपीयूएमएस, 2012 के भर्ती नियमों के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किया जाने संबंधी कैंडर संरचना पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिये कि उपरोक्त प्रस्तावों पर विल्ट समिति एवं कार्य परिषद का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।</p>	
एजेण्डा बिन्दु	नर्सिंग संकाय
5-(5.1)	<p><b>Proposal for approval of academic calendar of B.Sc. Nursing</b>  <b>Proposal:</b> To approve the Academic Calendar of B.Sc. Nursing.</p>
<p>निर्णय:- बी०एस०सी० (नर्सिंग) के एकेडमिक कैलेंडर पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(5.2)	<p><b>Proposal for approval of panel of examiner for B.Sc. (Nursing) Program.</b>  <b>Proposal:</b> The updated list of examiners for B.Sc. (Nursing) Program are presented to Academic Council for approval.</p>
<p>निर्णय:- बी०एस०सी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक पैनल पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(5.3)	<p><b>Proposal for approval of General Rules and Regulations for Nursing Students in classroom and Clinical field.</b>  <b>Proposal:</b> The General Rules and Regulations for Nursing Students are presented to Academic Council for approval.</p>
<p>निर्णय:- नर्सिंग छात्र-छात्राओं हेतु आई०एन०सी०/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार तैयार किये गये <b>General Rules and Regulations</b> पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(5.4)	<p><b>Proposal for approval of Admission Process in B.Sc. (Nursing) through Atal Bihari Vajpayee Medical University.</b>  <b>Proposal:</b> The finalized Admission process in B.Sc. (Nursing) through Atal Bihari Vajpayee Medical University is presented to Academic Council for approval.</p>
<p>निर्णय:- उ०प्र० शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में बी०एस०सी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से कराये जाने के संबंध में विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(5.5)	<p><b>Approval of Cumulative Record for ANM, GNM and B.Sc. Nursing programs as per INC requirement.</b>  <b>Proposal:</b> The finalized Cumulative records for all the programs (ANM, GNM and B.Sc. Nursing) is presented to Academic Council for approval.</p>
<p>निर्णय:- ANM, GNM and B.Sc. Nursing छात्र-छात्राओं हेतु आई०एन०सी० के अनुसार तैयार किये गये <b>Cumulative records</b> प्रारूप पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
5-(5.6)	<b>Inclusion of Demonstrator/Nursing Tutor in the</b>

  
**Dr. P. K. Singh**  
 Vice Chancellor

  
**कुलसचिव**  
 उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
 सफई इलाका, उ०प्र०


	<p><b>panel of internal examiner for B.Sc. Nursing programme.</b>  <b>Proposal:</b> The above decision of the Board of Studies is presented to Academic Council for approval.</p>
	<p>निर्णय:- उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि आंतरिक परीक्षक के रूप में उन्हीं ट्यूटर/डेमोंस्ट्रेटर को पैनल में सम्मिलित किया जाये जो भारतीय उपचर्या परिषद के मानकों के अनुरूप आवश्यक अर्हता पूर्ण कर रहे हों।</p>
एजेण्डा बिन्दु	फार्मसी संकाय
5-(6.1)	<p><b>Approval of External examiners for Theory and Practical Examination for UG courses</b>  <b>Proposal:</b> To approve the Panel of Examiners attached.</p>
	<p>निर्णय:- फार्मसी संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा बी०फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु थ्योरी एवं प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए वाह्य परीक्षकों के पैनल हेतु की गई संस्तुति पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
5-(6.2)	<p><b>Transcript for Regular and Lateral entry students</b>  <b>Proposal:</b> To approve the transcript attached (for Lateral entry students) and (for Regular students).</p>
	<p>निर्णय:- Transcript Lateral entry and Regular students of B. Pharmacy program पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
5-(6.3)	<p><b>Approval of Standard Assessment Form (SAF)</b>  <b>Proposal:</b> To approve the SAF, Faculty of Pharmacy.</p>
	<p>निर्णय:- फार्मसी संकाय के अंतर्गत पी०जी० पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने से संबंधित एस०ए०एफ० पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
5-(6.4)	<p><b>Approval of minutes of meeting of BOS, Faculty of Pharmacy meeting held on 17th August, 2021.</b>  <b>Proposal:</b> Approval of the minutes/recommendations made by BOS, Faculty of Pharmacy in the meeting held on 17th August, 2021.</p>
	<p>निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा फार्मसी संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2021 के कार्यवृत्त/संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
एजेण्डा बिन्दु	अन्य एजेण्डा
5-(7.1)	<p>विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने संबंध में  <b>प्रस्ताव:</b> विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु तैयार की गई नियमावली पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना तथा पी०एच०डी० प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमावली लागू करने का अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
	<p>निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु तैयार की गई नियमावली तथा पी०एच०डी० प्रकोष्ठ के माध्यम से उक्त नियमावली को लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
5-(7.2)	<p>विश्वविद्यालय में इंद्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स हेतु फंड की स्वीकृति के संबंध में  <b>प्रस्ताव:</b> विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को प्रति इंद्राम्यूरल प्रोजेक्ट रु० पांच लाख की व्यवस्था किये जाने हेतु विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
	<p>निर्णय:- विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को प्रति इंद्राम्यूरल प्रोजेक्ट रु० पांच लाख की व्यवस्था किये जाने हेतु विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये इस प्रस्ताव पर वित्त समिति का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।</p>
	<p>विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.</p>

  
**Dr. P. K. Singh**  
 Vice Chancellor

  
**कुलसचिव**  
 उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
 गीता, इलाहाबाद, उ०प्र०

	08.2023 का कार्यवृत्त पर रक्षित है। प्रस्ताव: विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 11-24 विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति के संबंध में	प्रस्ताव: विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
एजेण्डा बिन्दु 11-25 वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17.08.2023 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना	प्रस्तावना: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17.08.2023 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत है:-
	1 वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 25.09.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि। वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक: 25-09-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
	2 वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 25.09.2018 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति अनुपालन आख्या से अवगत हुई तथा वित्त समिति की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु-13 के अन्तर्गत अन्य शुल्क में से वार्डन को उनके अतिरिक्त कार्य के लिये मानदेय के स्थान पर अन्य सुविधायें जैसे-Perks आदि के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि वार्डन्स को उनके द्वारा छात्रावासों में की जाने वाली विजिट के लिये वाहन ईंधन की प्रतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित करने के लिये एक समिति का गठन किया जाये जिसमें संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण), वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव होंगे। समिति अपनी संस्तुति मा0 कुलपति महोदय को प्रेषित करेगी।
	3 विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक के अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज की आय एवं उसके सापेक्ष किये गये व्ययों आदि के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु। वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के उपरोक्तानुसार तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिये मेडिकल कालेज की आय एवम् उससे किये गये व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से कराये जाने वाले विद्युत एवं सिविल अनुसंधान कार्य की धनराशि को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
	4 विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक के अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल कालेज की आय एवं उसके सापेक्ष किये गये व्ययों आदि के सम्बन्ध में

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

	अनुमोदन हेतु।
	<p><b>वित्त समिति का निर्णय :-</b></p> <p>वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल कालेज के वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के उपरोक्तानुसार तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिये पैरामेडिकल कालेज की आय एवम् उससे किये गये व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से कराये जाने वाले विद्युत एवं सिविल अनुरक्षण कार्य की धनराशि को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
5	विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र (Balance Sheet) अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।
	<p><b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के तुलन-पत्र (Balance Sheet) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
6	विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्याख्यान आदि के लिये वक्ताओं हेतु मानदेय निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।
	<p><b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावानुसार मानदेय की दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त पर कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।</p>
7	विश्वविद्यालय के कार्मिकों के चिकित्सा उपचार में व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
	<p><b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व की व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 14,40,376.00 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
8	पैरामेडिकल, फार्मसी एवम् नर्सिंग संकाय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु खेल सामग्री एवम् मेडिकल संकाय, ट्रामा सेन्टर, पैरामेडिकल, फार्मसी एवम् नर्सिंग संकाय में स्मार्ट क्लासरूम बनाये जाने के सम्बन्ध में।
	<p><b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> वित्त समिति द्वारा मेडिकल संकाय, ट्रामा सेन्टर, पैरामेडिकल, फार्मसी एवम् नर्सिंग संकाय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के खेलकूद सामग्री के क्रय किये जाने हेतु प्रत्येक संकाय हेतु रू0 4.00 लाख कुल धनराशि रू0 12.00 लाख तथा मेडिकल संकाय, ट्रामा सेन्टर, पैरामेडिकल, फार्मसी एवम् नर्सिंग संकाय में स्मार्ट क्लासरूम विकसित किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 10.50 लाख की सीमा के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाली फीस से व्यय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त पर कार्य परिषद का भी अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।</p>
9	नेशनल मेडिकल कमीशन (एन0एम0सी0)-2019 के <b>Minimum Requirements for Annual M.B.B.S. Admission Regulations, 2020</b> में निहित प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, इक्विपमेन्ट, विभाग एवम् लैब की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
	<p><b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> वित्त समिति द्वारा विद्या परिषद द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में नेशनल मेडिकल कमीशन (एन0एम0सी0)-2019 के <b>Minimum Requirements for Annual M.B.B.S. Admission Regulations, 2020</b> में निहित प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, इक्विपमेन्ट, विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव औचित्य के साथ तैयार कर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन को संदर्भित किये जाने का अनुमोदन दिया गया। केन्द्रीय लैब की स्थापना हेतु एजेण्डा बिन्दु-14(ग) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
10	इन्ट्राम्यूरल रिसर्च को प्रोत्साहन देने हेतु 06 अवार्ड पेपर जिसमें से एक प्रथम, दो द्वितीय तथा तीन तृतीय अवार्ड दिये जाने हेतु धनराशि के अनुमोदन दिये जाने के सम्बन्ध में।
	<p><b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> वित्त समिति द्वारा विद्या परिषद के उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को उपयुक्त न पाये जाने के</p>

  
**Dr. P. K. Singh**  
 Vice Chancellor

  
**कुलसचिव**  
 उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
 सेक्टर ईटावा, उ0प्र0

	कारण अस्वीकार किया गया।
11	विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पी0जी0 जूनियर रेजीडेंट को थीसेस एलाउन्स अनुमन्य किए जाने के संबंध में।
	वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 09/2019/1363/71-4-2019-12/2017 टी0सी0-11 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 एवम् विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 2609 दिनांक 27.11.2019 के अनुपालन में अध्ययनरत पी0जी0 छात्र/छात्राओं को एम्स नई दिल्ली के अनुरूप उक्त भत्ता अनुमन्य किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कार्य परिषद से भी अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
12	डॉ0 अमिता सिंह, वेटेरिनरी ऑफिसर को चिकित्साधिकारियों की भौति सी0एच0एस0/ सी0जी0एच0एस0 में विद्यमान पैटर्न (DACP Scheme) के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति द्वारा उक्त पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा डा0 अमिता सिंह, वेटेरिनरी ऑफिसर को चिकित्साधिकारियों की भौति सी0एच0एस0/सी0जी0एच0एस0 में विद्यमान पैटर्न (DACP Scheme) के अन्तर्गत वैयक्तिक पदोन्नति/टाइम स्केल दिये जाने के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। चिकित्साधिकारियों की भौति सी0एच0एस0/सी0जी0एच0एस0 में विद्यमान पैटर्न (DACP Scheme) के अन्तर्गत वैयक्तिक पदोन्नति/टाइम स्केल दिये जाने के संबंध में कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रकरण शासन को पुनः संदर्भित कर दिया जाये।
13	श्रीमती मृदुला भट्ट, वैयक्तिक सहायक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा उ0प्र0 सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी सेवा एवं राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सैफई (पूर्व नाम एम0एस0एम0आई0 एवं वर्तमान नाम उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा) में रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर की गयी सेवा को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए वर्तमान सेवा में जोड़े जाने की अनुमति के लिए अनुमोदन।
	वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रीमती मृदुला भट्ट द्वारा वैयक्तिक सहायक के पद पर दिनांक 19.12.2006 को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व दिनांक 07.06.2003 से 27.06.2005 तक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी सेवा को एवं दिनांक 28.06.2005 से 18.12.2006 तक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, सैफई (पूर्व नाम एम0एस0एम0आई0, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान एवं वर्तमान नाम उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा) में रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर की गयी सेवाओं को वर्तमान वैयक्तिक सहायक के पद पर योगदान तिथि 19.12.2006 से की गयी सेवाओं के साथ सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए जोड़े जाने हेतु उपरोक्त वर्णित विनियमावली/शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त पर कार्य परिषद से भी अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
14	विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये गये/कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु-14(क) एवं 14(ख) पर विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये गये कार्य पर धनराशि रु0 76.90 लाख का कार्यांतर तथा विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये जाने वाले कार्यों हेतु एजेण्डा बिन्दु-14(ग) के कॉलम संख्या-03 में उल्लिखित धनराशियों एवम् 14(घ) पर वित्त एवं लेखा विभाग के लिये पूल के अन्तर्गत एक ए0सी0 कार को अनुबन्ध/क्रय के आधार पर क्रय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उक्त का अनुमोदन मा0 कार्य परिषद से भी प्राप्त कर लिया जाये।
15	विश्वविद्यालय में संचालित समस्त संकायों के परास्नातक स्तरीय परीक्षण सम्बन्धी वाहय एवं आन्तरिक परीक्षकों, प्रश्न-पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक की दरें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति का निर्णय :- वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित समस्त

  
D. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इटावा, उ0प्र0

	संकायों के परास्नातक एवं स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के सम्बन्ध में वाह्य एवम् आन्तरिक परीक्षकों प्रश्न-पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन इत्यादि के सम्बन्ध में उपरोक्त तालिका निर्धारित की गयी दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उक्त का अनुमोदन मा० कार्य परिषद से भी प्राप्त कर लिया जाये।
16	अन्य बिन्दु
16.1	विश्वविद्यालय में कार्यरत वैयक्तिक सहायक के पद (ग्रेड पे 4200 एवं पे लेवल 6) एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मानकीकरण से संबंधित शासनादेश संख्या-110/2022/96 /71-2099/ 753/2021 दिनांक 05.09.2022 के क्रम में जारी आदेश संख्या 71-4099/ 1051/2022-4- दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा विश्वविद्यालय के सचिवीय संवर्ग के निजी सचिव के पद के वेतनमान (ग्रेड पे 4600 एवं पे लेवल 7) को संजय गांधी स्नातकोत्तर, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जारी आदेश संख्या पी०जी०आई० /अधि०/आर०एस०डी० 6306/21/730/2022 दिनांक: 17-11-2022 के अनुसार अनुमन्य किये जाने हेतु।
	<b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में लागू संशोधित वेतनमान हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है। अतः विश्वविद्यालय में भी सचिवीय संवर्ग के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की समतुल्यता हेतु मा० कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी।
16.2	विश्वविद्यालय में इन्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
	<b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> विद्या परिषद की 5वीं बैठक दिनांक: 08-08-2023 के एजेण्डा बिन्दु-05(7.2) में की गयी संस्तुति के क्रम में प्रति इन्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट रु० 5.00 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय की आय/बचत से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उक्त का अनुमोदन मा० कार्य परिषद से भी प्राप्त कर लिया जाये।
16.3	पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के संकाय सदस्यों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में।
	<b>वित्त समिति का निर्णय :-</b> विद्या परिषद की 5वीं बैठक दिनांक: 08 अगस्त, 2023 के एजेण्डा बिन्दु-5(4.8) में दी गयी संस्तुति के क्रम में डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू०जी०सी० के नियमानुसार एवं Career Advancement Scheme (CAS) की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को उ०प्र० स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी, 2021 एवं यू०पी०यू०एम०एस०, 2012 के भर्ती नियमों के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी कैंडिड संरचना पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान करते हुए कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाये।
	विश्वविद्यालय की वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17.08.2023 का कार्यवृत्त पर रक्षित है। वित्त समिति के एजेण्डा बिंदु 16.3 के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव अलग से एजेण्डा बिंदु 11-27 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। <b>प्रस्ताव:</b> वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17.08.2023 में एजेण्डा बिंदु-1 से 15 तथा अन्य एजेण्डा बिंदु 16.1 एवं 16.2 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा० कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
	कार्य परिषद का निर्णय – वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17.08.2023 में एजेण्डा बिंदु-1 से 15 तथा अन्य एजेण्डा बिंदु 16.1 एवं 16.2 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor



**एजेण्डा बिन्दु 11-26**

विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति पी0सी0आई0 के दिशा निर्देशानुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत यू0जी0सी0 मानकानुसार किए जाने के संबंध में

**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में फार्मसी संकाय वर्ष 2015 से संचालित है। विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय में संकाय संवर्ग संरचना पी0सी0आई0 मानकानुसार असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय के लिए 11 असिस्टेंट प्रोफेसर, 04 एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर और एक प्रिंसिपल का पद स्वीकृत किए गए हैं (दिसम्बर 2015 से) और एक प्रोफेसर (जनवरी 2016 से) कार्यरत हैं एवं दो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल का पद रिक्त है। उक्त सभी पद पी0सी0आई0 के मानक अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हैं।

**पृष्ठभूमि:** अवगत कराना है कि फार्मसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए लगभग 7 वर्ष 6 माह पूर्ण हो चुके हैं। फार्मसी संकाय में समस्त शैक्षणिक गतिविधियां पी0सी0आई0 के मानकानुसार की जाती हैं। पी0सी0आई0 की अधिसूचना 11 नवंबर 2014 ( REDG. NO. D.L.-33004/99) के अनुसार पदोन्नति हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर 3 साल अवधि के उपरांत एसोसिएट प्रोफेसर बनने की अर्हता रखता है और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने में 5 वर्ष का कार्यकाल (कुल 10 वर्ष) प्रस्तावित है, परंतु अभी तक नियम विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय में लागू नहीं हो सके हैं।

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की पंचम बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2018 में निर्णय लिया गया कि फार्मसी संकाय में रिक्त पदों पर पी0सी0आई0 के पदोन्नति के मानकानुसार निर्धारित अवधि में 1 वर्ष अतिरिक्त जोड़ते हुए शिक्षकों की पदोन्नति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है

PCI Rules for Recruitment and Promotion		
Designation	Qualification	Experience Required
Director/Principal/ Head of Institution	Ph.D degree	15 years (5 years must be as Professor/ HOD)
Professor	Ph.D degree	5 years as Asso. Professor (Total 10 years)
Associate Professor	M.Pharm degree	3 years as Asst. Professor
Lecturer/Assistant Professor	M.Pharm degree	2 years

पी0सी0आई0 के पत्रांक सं0 14-163/2021-PCI/12730 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक कर्मचारियों की पदोन्नति यू0जी0सी0 मानकानुसार अपेक्षित है।

यू0जी0सी0, नई दिल्ली, के फरवरी 2018 पत्रांक में व्यक्तिगत पदोन्नति हेतु कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की व्यवस्था

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0



की गई है जिसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर 3 चरणों में 12-13 साल अवधि के उपरांत एसोसिएट प्रोफेसर बनने की अर्हता रखते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने में 3 वर्ष का कार्यकाल प्रस्तावित है।

Post Name	UGC Norms - UGC Regulation 2018; Career Advancement Scheme (CAS) for University Teachers*
Lecturer/ Assistant Professor to Associate Professor	<p>1. <b>Stage 1:</b> Assistant Professor (Academic Level 10; 6000/- (GP) to Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11; 7000/- (GP)) <b>Qualification:</b> PhD <b>Experience:</b> 4 Years <b>Qualification:</b> M.Pharm (PG Degree) <b>Experience:</b> 5 Years</p> <p>2. <b>Stage 2:</b> Assistant Professor (Senior Scale/ Academic Level 11; 7000/- (GP) to Assistant Professor (Selection Grade/ Academic Level 12; 8000/- (GP)) <b>Qualification:</b> PhD <b>Experience:</b> 5 Years</p> <p>3. <b>Stage 3:</b> Assistant Professor (Selection Grade/ Academic Level 12; 8000/- (GP) to Associate Professor (Academic Level 13A; 9000/- (GP)) <b>Qualification:</b> PhD <b>Experience:</b> 3 Years</p>
Associate Professor to Professor	Associate Professor (Academic Level 13A; 37,400 - Rs. 67,000, 9000/- GP) to Professor (Academic Level 14; 37,400 - Rs. 67,000, 10000/- GP) <b>Qualification:</b> PhD <b>Experience:</b> 3 Years
Professor to Senior Professor	Professor (Academic Level 14) to Senior Professor (Academic Level 15) <b>Qualification:</b> PhD <b>Experience:</b> 10 Years (As Professor) based on academic achievement

**नियम/कृत कार्यवाही:** विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय में सीधी भर्ती के नियम पी0सी0आई0 के मानकानुसार हैं परंतु पदोन्नति के नियम स्पष्ट नहीं हैं हालांकि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की पंचम बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2018 में पी0सी0आई0 के मानक अनुसार पदोन्नति किए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।


**प्रस्ताव का आधार:** पी0सी0आई0 के पत्रांक सं0 14-163/2021-PCI/12730 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय में कार्यरत समस्त शिक्षक कर्मचारियों की पदोन्नति यू0जी0सी0 मानकानुसार किए जाने की व्यवस्था दी गई है।

**प्रस्ताव:** यू0जी0सी0 के मानकानुसार फार्मसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति कई वर्षों से देय है इनकी पदोन्नति अपेक्षित है। उपरोक्त तालिका के अनुसार विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के

  
Pr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

	<p>संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।  <u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन:</u> विश्वविद्यालय के फार्मैसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के फार्मैसी संकाय में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों की पदोन्नति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने के लिये शासनादेश जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><u>एजेण्डा बिन्दु 11-27</u>  पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के संकाय सदस्यों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में।</p>	<p><u>प्रस्तावना:</u> विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के संकाय सदस्यों की प्रोन्नति से सम्बन्धित प्रकरण दिनांक 17.08.2023 को आयोजित विश्वविद्यालय की वित्त समिति की द्वितीय बैठक में प्रस्तुत किया गया था। वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण अनुमोदन हेतु मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।  <u>वित्त समिति को प्रस्तुत प्रस्ताव:</u> वित्त समिति की द्वितीय बैठक में अन्य एजेण्डा बिंदु-16.3 के अन्तर्गत अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 5वीं बैठक दिनांक: 08 अगस्त, 2023 के एजेण्डा बिन्दु-5(4.8) (विद्या परिषद के समस्त सलग्नकों सहित प्रस्तुत) में निर्णय लिया गया कि –  “डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू0जी0सी0 के नियमानुसार एवं Career Advancement Scheme (CAS) की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 2021 एवं यू0पी0यू0एम0एस0, 2012 के भर्ती नियमों के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी कैंडर संरचना पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति एवं कार्यपरिषद का भी अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।  ”  विद्या परिषद की 5वीं बैठक दिनांक: 08 अगस्त, 2023 के एजेण्डा बिन्दु-5(4.8) में दी गयी संस्तुति के क्रम में वित्त समिति से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।  <u>वित्त समिति का निर्णय:</u> विद्या परिषद की 5वीं बैठक दिनांक: 08 अगस्त, 2023 के एजेण्डा बिन्दु-5(4.8) में दी गयी संस्तुति के क्रम में डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू0जी0सी0 के नियमानुसार एवं Career Advancement Scheme (CAS) की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
जीएनई इलाहाबाद, उ0प्र0


	<p>शिक्षकों को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 2021 एवं यू0पी0यू0एम0एस0, 2012 के भर्ती नियमों के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी कैंडर संरचना पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाये।</p> <p><b>प्रस्ताव:</b> विद्या परिषद की 5वीं बैठक दिनांक: 08 अगस्त, 2023 के एजेण्डा बिन्दु-5(4.8) में दी गयी संस्तुति के क्रम में डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू0जी0सी0 के नियमानुसार एवं Career Advancement Scheme (CAS) की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 2021 एवं यू0पी0यू0एम0एस0, 2012 के भर्ती नियमों के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी कैंडर संरचना पर वित्त समिति द्वारा प्रदान की गई सहमति के क्रम में यू0जी0सी0 द्वारा CAS की व्यवस्था में समय-समय पर किये गये संशोधन Recruitment और Promotion में लागू होंगे। उक्तानुसार शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p> <p><b>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन:</b> उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – विद्या परिषद की 5वीं बैठक दिनांक: 08 अगस्त, 2023 के एजेण्डा बिन्दु-5(4.8) में दी गयी संस्तुति के क्रम में डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू0जी0सी0 के नियमानुसार एवं Career Advancement Scheme (CAS) की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 2021 एवं यू0पी0यू0एम0एस0, 2012 के भर्ती नियमों के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति (Personal Promotion) की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी कैंडर संरचना पर वित्त समिति द्वारा प्रदान की गई सहमति के क्रम में यू0जी0सी0 द्वारा CAS की व्यवस्था में समय-समय पर किये गये संशोधन Recruitment और Promotion में लागू होंगे। उक्तानुसार शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-28</b> <b>Constitution of Faculty of Dental Sciences</b></p>	<p><b>Introduction:</b> As per the Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah Act, 2015 (U.P. Act No. 15 of 2016), Chapter-1 under 25(1) the University shall have five faculties namely Medical, Dental, Paramedical Sciences, Nursing and Pharmacy, but there is no existence of Faculty of Dental Sciences. After the constitutions of Faculty of Dental Sciences, the existing Department of Dentistry will be delinked from Faculty of Medical Sciences and regulated by Dental Council of India.</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

	<p><b>Background:</b> Before formation of University, there was a department of Dentistry as a part of Medical College but after formation of University this was converted into a Faculty i.e. Faculty of Dental Sciences.</p> <p><b>Basis of Proposal:</b> Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah Act, 2015 (U.P. Act No. 15 of 2016).</p> <p><b>Proposal:</b> Constitution of Faculty of Dental Sciences as per Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah Act, 2015 (U.P. Act No. 15 of 2016), Chapter-1 under 25(1).</p> <p><b>Expected approval on the proposal:</b> Executive Council may like to approve the above proposal.</p>																																																
<p>कार्य परिषद का निर्णय – Hon'ble Executive Council has given its approval regarding Constitution of Faculty of Dental Sciences as per Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah Act, 2015.</p>																																																	
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-29 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की प्रगति आख्या एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय के संबंध में।</p>	<p><b>प्रस्तावना:</b> अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की प्रगति आख्या एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय के संबंध में शासन को पत्र किये जाने हेतु अनुमति के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p><b>प्रगति आख्या:</b> अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की प्रगति आख्या निम्नवत् है: –</p>																																																
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>आच्छादित जनपद का नाम</td> <td>इटावा</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>कार्य का नाम</td> <td>500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, सैफई, इटावा।</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>विभाग का नाम</td> <td>चिकित्सा शिक्षा</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>कार्य का एफ0एम0एस0 कोड</td> <td>10090 सी0ए0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक</td> <td>2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14.08.2014</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>मूल स्वीकृत लागत</td> <td>रु0 333.56 करोड़</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक</td> <td>113/2016/3333/71-2-2016-एस-34/2016 दिनांक 02.09.2016</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>पुनरीक्षित स्वीकृत लागत</td> <td>रु0 463.28 करोड़</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>पुनः पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक</td> <td>70/2018/948/71-2-18-एस-20/2013 दिनांक 28.03.2018</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>पुनरीक्षित स्वीकृत लागत</td> <td>रु0 537.26 करोड़</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>पुनः पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक</td> <td>32/2021/1/115214/2021/71-4099-692/2021-4 दिनांक 18.11.2021</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>पुनरीक्षित स्वीकृत लागत</td> <td>रु0 489.88 करोड़ (सिविल रु0 302.72 करोड़ एवं विद्युत रु0 187.15 करोड़)</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>कार्य प्रारम्भ की तिथि</td> <td>02/2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि</td> <td>03/2024</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>समग्र भौतिक प्रगति</td> <td>सिविल 84 प्रतिशत   77 प्रतिशत</td> </tr> </table>	1	आच्छादित जनपद का नाम	इटावा	2	कार्य का नाम	500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, सैफई, इटावा।	3	विभाग का नाम	चिकित्सा शिक्षा	4	कार्य का एफ0एम0एस0 कोड	10090 सी0ए0	5	मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14.08.2014	6	मूल स्वीकृत लागत	रु0 333.56 करोड़	7	पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	113/2016/3333/71-2-2016-एस-34/2016 दिनांक 02.09.2016	8	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	रु0 463.28 करोड़	9	पुनः पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	70/2018/948/71-2-18-एस-20/2013 दिनांक 28.03.2018	10	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	रु0 537.26 करोड़	11	पुनः पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	32/2021/1/115214/2021/71-4099-692/2021-4 दिनांक 18.11.2021	12	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	रु0 489.88 करोड़ (सिविल रु0 302.72 करोड़ एवं विद्युत रु0 187.15 करोड़)	13	कार्य प्रारम्भ की तिथि	02/2015	14	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	11/2023	15	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	03/2024	16	समग्र भौतिक प्रगति	सिविल 84 प्रतिशत   77 प्रतिशत
1	आच्छादित जनपद का नाम	इटावा																																															
2	कार्य का नाम	500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, सैफई, इटावा।																																															
3	विभाग का नाम	चिकित्सा शिक्षा																																															
4	कार्य का एफ0एम0एस0 कोड	10090 सी0ए0																																															
5	मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14.08.2014																																															
6	मूल स्वीकृत लागत	रु0 333.56 करोड़																																															
7	पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	113/2016/3333/71-2-2016-एस-34/2016 दिनांक 02.09.2016																																															
8	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	रु0 463.28 करोड़																																															
9	पुनः पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	70/2018/948/71-2-18-एस-20/2013 दिनांक 28.03.2018																																															
10	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	रु0 537.26 करोड़																																															
11	पुनः पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	32/2021/1/115214/2021/71-4099-692/2021-4 दिनांक 18.11.2021																																															
12	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	रु0 489.88 करोड़ (सिविल रु0 302.72 करोड़ एवं विद्युत रु0 187.15 करोड़)																																															
13	कार्य प्रारम्भ की तिथि	02/2015																																															
14	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	11/2023																																															
15	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	03/2024																																															
16	समग्र भौतिक प्रगति	सिविल 84 प्रतिशत   77 प्रतिशत																																															

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इटावा, उ0प्र0

	(प्रतिशत में)	विद्युत 70 प्रतिशत
	<p><b>प्रस्ताव:</b> विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की प्रगति आख्या से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराये जाने एवं 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु अनुमानित रू0 200.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p> <p><b>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन:</b> विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की प्रगति आख्या से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें एवं 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु अनुमानित रू0 200.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</p>	
<p>कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की प्रगति आख्या से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई एवं 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु अनुमानित रू0 200.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>		
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-30</b> चिकित्सालय में आने वाले गंभीर मरीजों के लम्बी अवधि तक चलने वाले उपचार हेतु मरीजों को ओ0पी0डी0 बुकलेट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> कार्य परिषद की दसवीं बैठक में ओ0पी0डी0 पंजीकरण को और बेहतर बनाने के लिये तथा ओ0पी0डी0 पंजीकरण के शुल्क में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव दिये जाने के निर्देश के संबंध में चिकित्सा अधीक्षक की उपरोक्त आख्या बिंदु-1 व 2 से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराने एवं बिंदु-3 के अनुसार चिकित्सालय में आने वाले अति गंभीर मरीजों के लम्बी अवधि तक चलने वाले उपचार हेतु ओ0पी0डी0 में मरीजों की बुकलेट उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की के अन्तर्गत मरीजों को बुकलेट उपलब्ध कराने हेतु मरीज से बुकलेट शुल्क 50 रुपये मात्र लिये जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p>	
<p>कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद बिंदु-1 एवं 2 से अवगत हुई तथा चिकित्सालय में आने वाले अति गंभीर मरीजों के लम्बी अवधि तक चलने वाले उपचार हेतु ओ0पी0डी0 में मरीजों की बुकलेट उपलब्ध कराने एवं मरीज से बुकलेट शुल्क 50 रुपये मात्र लिये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>		
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-31</b> विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के प्रभार के संबंध में</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> (क) डा0 आदेश कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण डा0 आदेश कुमार से कनिष्ठ डा0 उषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को कार्यालय आदेश सं0 3580/यूपीयूएमएस/प्रशासन(467)/2022-23 दिनांक 19.11.2022 के द्वारा संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।</p>	

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उपग्रो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इलाहा, उ0प्र0

	<p>(ख) डा0 आदेश कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेट्री मेडिसिन विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई, इटावा को पेशेंट किचन टेंडर में वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्रचलित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने एवं दोषमुक्त किये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0 10573/2023 में दिनांक 11.07.2023 को पारित आदेश के क्रम में डा0 आदेश कुमार को विश्वविद्यालय अधिनियम-2015 की धारा-25(4) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत 03 वर्ष हेतु संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) का प्रभार दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p> <p>(ग) डा0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग का संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के पद पर लगभग 10 माह का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। अतः डा0 ऊषा शुक्ला के भविष्य के दृष्टिगत 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण न हो पाने के कारण डा0 आदेश कुमार के उपरांत अवशेष अवधि हेतु संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के पद का प्रभार पुनः दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – चूंकि उक्त एजेण्डा संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) से संबंधित था अतः एजेण्डा प्रस्तुत होने पर डा0 ऊषा शुक्ला, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) बैठक में उपस्थित नहीं रहीं। तदोपरान्त उक्त एजेण्डा पर शेष सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—</p> <p>(क) डा0 आदेश कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण डा0 आदेश कुमार से कनिष्ठ डा0 उषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को कार्यालय आदेश सं0 3580/यूपीयूएमएस/प्रशासन(467)/2022-23 दिनांक 19.11.2022 के द्वारा संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>(ख) डा0 आदेश कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेट्री मेडिसिन विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई, इटावा को पेशेंट किचन टेंडर में वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्रचलित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने एवं दोषमुक्त किये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0 10573/2023 में दिनांक 11.07.2023 को पारित आदेश के क्रम में डा0 आदेश कुमार को विश्वविद्यालय अधिनियम-2015 की धारा-25(4) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत 03 वर्ष हेतु संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) का प्रभार दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>(ग) डा0 ऊषा शुक्ला जो वरिष्ठता क्रम में डा0 आदेश कुमार के पश्चात हैं, को संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) का पद रिक्त होने पर विश्वविद्यालय अधिनियम-2015 की धारा-25(4) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत 03 वर्ष का कार्यकाल दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इनके द्वारा अब तक संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के पद पर धारण की गई अवधि को भविष्य में जोड़ा नहीं जायेगा।</p>	
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-32 डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, एम0एल0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को संकायाध्यक्ष,</p>	<p>प्रस्ताव: डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर (एम0एल0टी0), पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जाँच में आरोप सिद्ध न होने के कारण इनके विरुद्ध</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इटावा, उ0प्र0

<p>संकाय को संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय बनाये जाने के संबंध में।</p>	<p>प्रचलित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किये जाने की दशा में एवं न्यायालय में दायर रिट-A याचिका सं0 10039/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर (एम0एल0टी0), पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को पैरामेडिकल विज्ञान संकाय का संकायाध्यक्ष बनाये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद् का अनुमोदन अपेक्षित है।</p>																		
<p>कार्य परिषद् का निर्णय - डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर (एम0एल0टी0), पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जॉच में आरोप सिद्ध न होने के कारण इनके विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किये जाने की दशा में एवं न्यायालय में दायर रिट-A याचिका सं0 10039/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर (एम0एल0टी0), पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को पैरामेडिकल विज्ञान संकाय का संकायाध्यक्ष बनाये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>कार्य परिषद् का निर्णय - डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर (एम0एल0टी0), पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जॉच में आरोप सिद्ध न होने के कारण इनके विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किये जाने की दशा में एवं न्यायालय में दायर रिट-A याचिका सं0 10039/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर (एम0एल0टी0), पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को पैरामेडिकल विज्ञान संकाय का संकायाध्यक्ष बनाये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>																		
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-33</b> कार्यपरिषद् की दसवीं बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2022 के एजेण्डा बिन्दु (10-7) के अन्तर्गत डा0 समीर सर्राफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग के प्रस्तुत प्रकरण पर लिए गए निर्णयानुसार तीन सदस्यीय परीक्षण समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष की आख्या, डा0 सुभाष चन्द्रा, विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी की आख्या एवं मा0 कुलपति की आख्या तथा विश्वविद्यालय में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय लिये जाने के संबंध में।</p>	<p><b>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत:-</b> अतः डा0 समीर सर्राफ पर विभिन्न शिकायतों के माध्यम से लगाए गए आरोपों पर विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही एवं उक्त कार्यवाही के आधार पर जॉच अधिकारी डा0 आई0के0 शर्मा की जॉच आख्या दिनांक 24.09.2021, कार्यपरिषद् की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 में लिए गए निर्णयानुसार तीन सदस्यीय परीक्षण समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष की आख्या दिनांक 22.06.2023, डा0 सुभाष चन्द्रा, विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी की आख्या दिनांक 26.07.2023 एवं मा0 कुलपति की आख्या दिनांक 08.08.2023 विश्वविद्यालय में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निम्नवत् अवगत कराना है कि:-</p> <p><b>आरोप-1 ARBITRARY PURCHASE :</b> कन्ज्यूमेबिल परचेज के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी एवं तीन सदस्यीय परीक्षण समिति के सदस्यों की आख्या निम्नवत् है:-</p> <table border="1" data-bbox="678 1339 1465 1682"> <tr> <td>डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।</td> </tr> <tr> <td>डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं होता है।</td> </tr> <tr> <td>श्री रोहित द्विवेदी, अधिवक्ता</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध पाया जाता है।</td> </tr> <tr> <td>श्री विजय कुमार श्रीवास्तव</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं पाया गया।</td> </tr> <tr> <td>मा0 कुलपति महोदय की आख्या</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर उक्त आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता है।</td> </tr> </table> <p><b>द्वितीय आरोप : पेसमेकर:</b> आरोप सं0 2 पर तीन सदस्यीय परीक्षण समिति के सदस्यों की आख्या निम्नवत् है:-</p> <table border="1" data-bbox="678 1760 1465 1966"> <tr> <td>डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी</td> <td>डा0 समीर सर्राफ को दोषी पाया गया।</td> </tr> <tr> <td>डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।</td> </tr> <tr> <td>श्री रोहित द्विवेदी, अधिवक्ता</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।</td> </tr> <tr> <td>श्री विजय कुमार श्रीवास्तव,</td> <td>डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं पाया</td> </tr> </table>	डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।	डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं होता है।	श्री रोहित द्विवेदी, अधिवक्ता	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध पाया जाता है।	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं पाया गया।	मा0 कुलपति महोदय की आख्या	डा0 समीर सर्राफ पर उक्त आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता है।	डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी	डा0 समीर सर्राफ को दोषी पाया गया।	डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।	श्री रोहित द्विवेदी, अधिवक्ता	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव,	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं पाया
डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।																		
डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं होता है।																		
श्री रोहित द्विवेदी, अधिवक्ता	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध पाया जाता है।																		
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं पाया गया।																		
मा0 कुलपति महोदय की आख्या	डा0 समीर सर्राफ पर उक्त आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता है।																		
डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी	डा0 समीर सर्राफ को दोषी पाया गया।																		
डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।																		
श्री रोहित द्विवेदी, अधिवक्ता	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।																		
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव,	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध नहीं पाया																		

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सीफई, इलाहाबाद, उ0प्र0


	गया।
मा0 कुलपति महोदय की आख्या	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता है किन्तु पेसमेकर डिवाइस (पल्स जनरेटर), पेसिंग लीड स्टीकर, प्रोसीजर, पीपीआई स्टीकर से संबंधित मरीजों के विवरण आदि को रजिस्टर में अंकित करने में घोर लापरवाही (हतवे दमहसपहमदबम) की गई है।
तृतीय आरोप : विदेश यात्रा:- आरोप संख्या 03 पर तीन सदस्यीय परीक्षण समिति के सदस्यों की आख्या निम्नवत् है:-	
डा0 आई0के0 शर्मा, जाँच अधिकारी	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध होता है।
डा0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप पूर्णतः सिद्ध होता है।
श्री रोहित द्विवेदी, अधिवक्ता	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप पूर्णतः सिद्ध होता है।
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव,	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध पाया गया।
मा0 कुलपति महोदय की आख्या	डा0 समीर सर्राफ पर आरोप सिद्ध पाया गया।
<p>उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ द्वारा डॉ0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर मा0 न्यायालय में अभियोग चलाए जाने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से "अभियोजन स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।</p> <p>अतः डॉ0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने तथा मा0 न्यायालय में अभियोग चलाए जाने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से "अभियोजन स्वीकृति" प्रदान किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>	
<p>कार्य परिषद का निर्णय - उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <p>(क) उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ द्वारा डॉ0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर मा0 न्यायालय में अभियोग चलाए जाने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से "अभियोजन स्वीकृति" प्रदान किये जाने के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गई।</p> <p>(ख) डॉ0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग पर बिना अनुमति विदेश यात्रा संबंधी आरोप सिद्ध होने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 समीर सर्राफ को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति देते हुए संचयी प्रभाव के साथ 02 वेतनवृद्धियां (स्थायी रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
एजेण्डा बिन्दु 11-34 डा0 ऋतु गुप्ता, एसो0 प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग द्वारा	प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत: जाँच अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 21.07.2023 में डा0 ऋतु गुप्ता, एसो0 प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग पर विश्वविद्यालय से अनुमति लिये बिना की

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इलाहाबाद, उ0प्र0



<p>विश्वविद्यालय से अनुमति लिये बिना की गयी विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी द्वारा की गयी जाँच में उपलब्ध सक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय लिये जाने के संबंध में।</p>	<p>गयी विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में लगाया गया आरोप सिद्ध पाया गया। अतः डा0 ऋतु गुप्ता को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत डा0 ऋतु गुप्ता, एसो0 प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग पर बिना अनुमति विदेश यात्रा संबंधी आरोप सिद्ध होने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा डा0 ऋतु गुप्ता को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति देते हुए संचयी प्रभाव के साथ 02 वेतनवृद्धियां (स्थाई रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>कार्य परिषद का निर्णय – उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत डा0 ऋतु गुप्ता, एसो0 प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग पर बिना अनुमति विदेश यात्रा संबंधी आरोप सिद्ध होने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा डा0 ऋतु गुप्ता को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति देते हुए संचयी प्रभाव के साथ 02 वेतनवृद्धियां (स्थाई रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-35 विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री के0बी0 अग्रवाल के विरुद्ध कतिपय आरोपों के अन्तर्गत निलम्बन (वर्तमान में अनन्तिम रूप से बहाल) के प्रकरण में जाँच समिति/जाँच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या पर उपयुक्त कार्यवाही हेतु निर्णय लिये जाने के संबंध में।</p>	<p>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत: श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच किये जाने हेतु जारी आरोप पत्र के संबंध में तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 09.12.2019 में कुल पाँच आरोप में से सभी आरोप सिद्ध पाये गये। तत्पश्चात जाँच अधिकारी (डा0 एस0पी0 सिंह, विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी) की आख्या दिनांक 18.05.2021 में जाँच समिति द्वारा सिद्ध किये गये सभी आरोपों पर सहमति व्यक्त करते हुए अपनी संस्तुति दी गई। तत्पश्चात श्री के0बी0 अग्रवाल के अनुरोध के क्रम में नामित दूसरे जाँच अधिकारी (डा0 अनिल कुमार ईरी, तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक (कोविड-19)) की जाँच आख्या दिनांक 24.09.2021 में कुल 05 आरोप में से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाये गये और जाँच अधिकारी द्वारा श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध प्रचलित जाँच कार्यवाही को समाप्त किये जाने की संस्तुति के साथ इनकी पूर्ण बहाली की संस्तुति की गई है, जबकि उन्हें जाँच अधिकारी नामित करते समय संबंधित आदेश में निर्देशित किया गया था कि उनके द्वारा कोई संस्तुति नहीं की जायेगी, किन्तु जाँच अधिकारी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए संस्तुतियां की गई।</p> <p>अतः श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को पूर्णतया बहाल किये जाने के संबंध में तीन सदस्यीय जाँच समिति जाँच आख्या दिनांक 09.12.2019 द्वारा सभी आरोप सिद्ध होने, जाँच अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 18.05.2021 में भी सभी आरोप सिद्ध होने एवं द्वितीय जाँच अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 24.09.2021 के द्वारा कोई भी आरोप सिद्ध न होने एवं नियमविरुद्ध की गई पूर्ण बहाली की संस्तुति के क्रम में श्री के0बी0 अग्रवाल को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने अथवा विभागीय कार्यवाही समाप्त करने तथा जाँच अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध की गई संस्तुति हेतु उनके विरुद्ध कार्यवाही करने आदि प्रकरण में मा0 कार्य</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई हॉस्टल, उ0प्र0

	परिषद निर्णय लेना चाहें।
<p>कार्य परिषद का निर्णय – उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <p>(क) मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर बिना अनुमति विदेश यात्रा संबंधी आरोप सिद्ध होने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति देते हुए संचयी प्रभाव के साथ 02 वेतनवृद्धियां (स्थाई रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लेते हुए श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हुए पर इन्हें पूर्ण बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>(ख) डा0 अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर (जू0ग्रेड), जनरल सर्जरी विभाग को उक्त प्रकरण में जाँच अधिकारी के रूप में नामित किया गया था जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश के विपरीत अपनी जाँच आख्या में श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के लिये की गई पूर्ण बहाली की संस्तुति को मा0 कार्य परिषद द्वारा नियमविरुद्ध पाया गया एवं इस हेतु डा0 अनिल कुमार ईरी को चेतावनी जारी करने एवं इन्हें भविष्य में कोई भी प्रशासनिक कार्य न दिये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	
<p><u>एजेण्डा बिन्दु 11-36</u></p> <p>विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत श्री विनोद पटेल के विरुद्ध कतिपय आरोपों के अन्तर्गत निलम्बन (वर्तमान में अनन्तिम रूप से बहाल) के प्रकरण में जाँच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या पर उपयुक्त कार्यवाही हेतु निर्णय लिये जाने के संबंध में।</p>	<p><u>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत:</u> श्री विनोद पटेल, लाइब्रेरियन के विरुद्ध विभागीय जाँच किये जाने हेतु जारी आरोप पत्र के संबंध में तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा जाँच आख्या उपलब्ध न होने के उपरान्त जाँच समिति के स्थान पर नामित जाँच अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2020 में उल्लेखित किया गया कि "श्री विनोद पटेल, लाइब्रेरियन (निलम्बित) पर लगे आरोप सं0 01 एवं 05 के संदर्भ में प्रथम दृष्टतया स्पष्ट है कि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के दिनांक 13.01.2019 से 15.01.2019 तक की बैकाक जाने की अपनी विदेश यात्रा शासन की बिना अनुमति के की है, जो कि विदेश यात्रा से संबंधित शासन के नियम तथा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमवाली 1956 का उल्लंघन है। आरोप सं0 02, 03 एवं 04 के संदर्भ में समीक्षा से यही निष्कर्ष निकलता है कि इन आरोपों का कोई उचित आधार नहीं है तथा यह सभी आरोप न्यायसंगत प्रतीत नहीं होते हैं।"</p> <p>उक्त के क्रम में प्रस्तुत जाँच आख्या नियमों के परिप्रेक्ष्य में न होने के कारण प्रकरण की पुनः जाँच किये जाने हेतु कार्यालय आदेश सं0 2640 दिनांक 27.11.2020 द्वारा डा0 अनिल कुमार इरी, अपर चिकित्सा अधीक्षक, कोविड को जाँच अधिकारी नामित किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच कर प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 01/02.06.2022 में श्री विनोद पटेल, लाइब्रेरियन पर लगाये गये 04 आरोप पूर्णतया गलत पाये गये तथा एक आरोप अर्द्धरूप से सत्य पाया गया कि श्री पटेल चिकित्सा अवकाश लेकर विदेश यात्रा किये थे, अतः चिकित्सा अवकाश लेने के कारण इन्हें चेतावनी/सचेत करते हुए प्रकरण को निक्षेपित करते हुए रुके हुए समस्त वेतन भत्ते आदि सहित सक्षम अधिकारी द्वारा बहाल करने का निर्णय लिये जाने हेतु जाँच आख्या प्रेषित की गयी है। जाँच अधिकारी</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
रीवाँ, मध्य प्रदेश 491002

द्वारा श्री विनोद पटेल को चेतावनी/सचेत करते हुए प्रकरण को निक्षेपित करते हुए समस्त वेतन भत्ते सहित बहाली की संस्तुतियां की गईं, जबकि उन्हें जाँच अधिकारी नामित करते समय संबंधित आदेश में निर्देशित किया गया था कि उनके द्वारा कोई संस्तुति नहीं की जायेगी किन्तु जाँच अधिकारी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए संस्तुतियां की गईं।

अतः श्री विनोद पटेल, लाइब्रेरियन को पूर्णतया बहाल किये जाने के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 21.08.2020 में कुल 05 आरोपों में से आरोप सं० 01 एवं 05 के संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि श्री विनोद पटेल द्वारा विदेश यात्रा से संबंधित शासन के नियम तथा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन किया है तथा आरोप सं० 02, 03 एवं 04 के संबंध में टिप्पणी की गई है कि इन सभी आरोपों का कोई उचित आधार न होने के कारण आरोप न्यायसंगत प्रतीत नहीं होते हैं तथा नामित द्वितीय जाँच अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 01/02.06.2022 में कुल 05 आरोपों में से आरोप सं० 01 के संबंध में टिप्पणी की गई है कि यह आरोप अर्द्ध रूप से सत्य पाया जाता है एवं शेष 04 आरोपों को पूर्णतया गलत पाया गया तथा श्री विनोद पटेल को चेतावनी/सचेत करते हुए प्रकरण को निक्षेपित करते हुए समस्त वेतन भत्ते सहित बहाली की नियम विरुद्ध की गई संस्तुतियां के क्रम में श्री विनोद पटेल के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने अथवा विभागीय कार्यवाही समाप्त करने तथा जाँच अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध की गई संस्तुति हेतु उनके विरुद्ध कार्यवाही करने आदि प्रकरण में मा० कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – उक्त पर मा० कार्य परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

(क) मा० कार्य परिषद द्वारा श्री विनोद पटेल, लाइब्रेरियन पर बिना अनुमति विदेश यात्रा संबंधी आरोप सिद्ध होने के कारण उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दीर्घ शक्ति प्रदान करते हुए संचयी प्रभाव के साथ 02 वेतनवृद्धियां (स्थायी रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लेते हुए श्री विनोद पटेल, लाइब्रेरियन के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हुए पर इन्हें पूर्ण बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ख) डा० अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर (जू०ग्रेड), जनरल सर्जरी विभाग को उक्त प्रकरण में जाँच अधिकारी के रूप में नामित किया गया था जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश के विपरीत अपनी जाँच आख्या में श्री विनोद पटेल, लाइब्रेरियन को चेतावनी/सचेत करते हुए प्रकरण को निक्षेपित करते हुए समस्त वेतन भत्ते सहित बहाली की संस्तुति को मा० कार्य परिषद द्वारा नियमविरुद्ध पाया गया एवं इस हेतु डा० अनिल कुमार ईरी को चेतावनी जारी करने एवं इन्हें भविष्य में कोई भी प्रशासनिक कार्य न दिये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु 11-37

डा० अभय सिंह, असि० प्रोफेसर,

प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत: उपरोक्तानुसार डा० अभय सिंह, असि० प्रोफेसर, ब्लड बैंक (निलंबित) पर लगाये गये आरोपों के संबंध

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
20/08/2020

<p>एवं प्रभारी ब्लड बैंक को एस0टी0एफ0 (स्पेशल टास्क फोर्स), उ0प्र0 द्वारा गिरफ्तार करने के क्रम में विश्वविद्यालय के आदेश संख्या 3632/यूपीयूएमएस/अधि0-1(189)/वैय0-2016/2021-22 दिनांक 17.09.2021 के माध्यम से उन्हें निलम्बित कर दिया गया। जाँच अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 23.03.2023 के क्रम में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या में दोषी पाये जाने एवं मा0 कुलपति महोदय द्वारा जाँच अधिकारी की आख्या को स्वीकार किये जाने तथा डा0 अभय सिंह का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने एवं वर्तमान में जमानत पर रिहा होने के क्रम में डा0 अभय सिंह को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय - मा0 कार्य परिषद द्वारा डा0 अभय सिंह, असि0 प्रोफेसर, ब्लड बैंक पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर डा0 अभय सिंह से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। साथ ही डा0 अभय सिंह का निलंबन समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध जाँच की प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	
<p>एजेण्डा बिन्दु 11-38 जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा डा0 अभय सिंह (निलम्बित), असि0 प्रोफेसर, ब्लड बैंक की जाँचोपरान्त प्रस्तुत जाँच आख्या के सम्बन्ध में दोषी पाये गये श्री रंजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन से प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रस्तावित कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत: श्री रंजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु उपरोक्त समस्त दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जबकि जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में जाँच-1 की फाइंडिंग्स में श्री रंजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन द्वारा बिना नियमों का पालन किए हुए गुपिंग क्रास मैचिंग करने एवं पैसे लेकर खून उपलब्ध कराये जाने के आरोप के क्रम में श्री रंजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन दोषी पाया गया है एवं जाँच-2 की फाइंडिंग्स में ब्लड बैंक में रिकार्ड से सम्बन्धित अनेक अनियमिततायें पायी गयी हैं। उक्त जाँच आख्या को मा0 कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। तदक्रम में श्री रंजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय - मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री रंजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर श्री रंजीत कुमार से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	

  
P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई, इटावा, उ0प्र0

<p><u>एजेण्डा बिन्दु 11-39</u> जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा डा0 अभय सिंह (निलम्बित), असि0 प्रोफेसर, ब्लड बैंक की जाँचोपरान्त प्रस्तुत जाँच आख्या के सम्बन्ध में दोषी पायी गयीं श्रीमती भावना गौतम, लैब टेक्नीशियन से प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रस्तावित कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p><u>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत:</u>—उपरोक्तानुसार चूंकि श्रीमती भावना गौतम, लैब टेक्नीशियन ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को अनुचित बताया है, किन्तु जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में जाँच-1 की फाइंडिंग्स में श्रीमती भावना गौतम, लैब टेक्नीशियन को ब्लड देने से पूर्व सभी आवश्यक कार्यवाही न पूर्ण करने का दोषी पाया गया है एवं जाँच-2 की फाइंडिंग्स में ब्लड बैंक में रिकार्ड से सम्बन्धित अनेक अनियमिततायें पायी गयी हैं। उक्त जाँच आख्या को मा0 कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। तदक्रम में श्रीमती भावना गौतम, लैब टेक्नीशियन को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय — मा0 कार्य परिषद द्वारा श्रीमती भावना गौतम, लैब टेक्नीशियन पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर श्रीमती भावना गौतम से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	
<p><u>एजेण्डा बिन्दु 11-40</u> जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा डा0 अभय सिंह (निलम्बित), असि0 प्रोफेसर, ब्लड बैंक की जाँचोपरान्त प्रस्तुत जाँच आख्या के सम्बन्ध में दोषी पाये गये श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन से प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रस्तावित कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p><u>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत:</u>—उपरोक्तानुसार चूंकि श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को निरर्थक व निराधार बताया है, किन्तु जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में जाँच-1 की फाइंडिंग्स में श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन को ब्लड देने से पूर्व सभी आवश्यक कार्यवाही न पूर्ण करने का दोषी पाया गया है एवं जाँच-2 की फाइंडिंग्स में ब्लड बैंक में रिकार्ड से सम्बन्धित अनेक अनियमिततायें पायी गयी हैं। उक्त जाँच आख्या को मा0 कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। तदक्रम में श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय — मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर श्री अजीत कुमार से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	
<p><u>एजेण्डा बिन्दु 11-41</u> पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के एम0एल0टी0 विभाग में कार्यरत श्रीमती सीमा यादव, लैब असिस्टेन्ट की विगत 03 वर्ष से</p>	<p><u>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत:</u> उपरोक्तानुसार जाँच समितियों एवं जाँच अधिकारी की जाँच आख्या के आधार पर श्रीमती सीमा यादव, लैब असिस्टेन्ट पर प्रशासनिक आदेश की अवहेलना करने एवं COVID-19 महामारी के दृष्टिगत इनके द्वारा अपनी सेवाए नहीं देने एवं मनमाने तरीके से दिनांक 20 मई, 2020 से</p>

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
जैन्स ई इन्स्टावा, उ0प्र0

<p>अधिक की अनुपस्थिति के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>यादव विगत 03 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित होने के कारण इन्हें उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने अथवा अन्य कोई उपयुक्त कार्यवाही के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि:-</p> <p>(क) श्रीमती सीमा यादव, लैब असिस्टेंट को 15 दिनों का समय देते हुए इस आशय से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न उनकी लम्बी अनुपस्थित को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाये। उक्त कारण बताओ नोटिस को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दिया जाये।</p> <p>(ख) तदोपरान्त श्रीमती सीमा यादव द्वारा 15 दिवसों की अवधि में ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उनकी सेवाएं सकारण आदेश (Speaking Order) जारी करते हुए समाप्त (Removal from Service) कर दी जाये।</p>	
<p><u>एजेण्डा बिन्दु 11-42</u> श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) के विरुद्ध मेन्टल हेरासमेन्ट एण्ड एक्सप्लायटेशन के संबंध में।</p>	<p><u>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत:</u> समिति की जाँच आख्या में श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) पर Mental Harassment &amp; Torture के रूप में दोषी पाये जाने के क्रम में श्री कृष्ण कान्त को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 नियम-3 के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर श्री कृष्णकान्त से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	
<p><u>एजेण्डा बिन्दु 11-43</u> श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p><u>प्रस्ताव का आधार:</u> The Sexual Harassment of woman at work place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित Internal Complaints Committee द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं श्री राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत अपना पक्ष दिनांक 28.02.2023 का संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी ने श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर की एक वार्षिक वेतनवृद्धि 02 वर्ष के लिए रोके जाने का निर्णय लिया है, जिस पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर श्री राजीव कुमार से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	

  
Dr. P. K. Singh  
Vice Chancellor

  
कुलसचिव  
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
सैफई इलाहाबाद, उ0प्र0

<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-44</b> श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के प्रकरण की जाँचोपरान्त जाँच अधिकारी डा० अनिल कुमार इरी, प्रोफेसर (जूनि० ग्रेड), जनरल सर्जरी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या के क्रम में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण को मा० कार्य परिषद की बैठक में रखे जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p><b>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत:</b> जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 09.05.2022 में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। जाँच अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत होने के दृष्टिगत इन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुनः उपस्थित होने को उचित नहीं ठहराया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री के प्रकरण में उन्हें बहाल किये जाने के संबंध में मा० कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</p>
	<p>कार्य परिषद का निर्णय – जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 09.05.2022 में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने तथा जाँच अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत होने के दृष्टिगत इन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुनः उपस्थित होने को उचित नहीं ठहराये जाने के दृष्टिगत मा० कार्य परिषद द्वारा श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हुए उन्हें बहाल करने का निर्णय लिया गया।</p>
<p><b>एजेण्डा बिन्दु 11-45</b> विश्वविद्यालय के फार्मसी संकाय में कार्यरत डा० कमला पाठक, प्रोफेसर की दिनांक 31.07.2023 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत 65 वर्ष की आयु के संबंध में शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उन्हें अग्रिम आदेशों तक विश्वविद्यालय में बनाये रखने के संबंध में कृत कार्यवाही से मा० कार्य परिषद को अवगत कराये जाने के संबंध में।</p>	<p><b>प्रस्ताव:</b> दिनांक 31.07.2023 को डा० कमला पाठक, प्रोफेसर (फार्मसी संकाय) की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर डा० कमला पाठक की सेवारत अग्रिम आदेशों तक विश्वविद्यालय में बनाये रखने के संबंध में शासन से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में पत्र सं० 1785/E/(377-CD)/UPUMS/Estt.-4/Pharmacy/2023-24 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अनुरोध किया गया है, किंतु अभी तक शासन स्तर से उन्हें सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में कोई भी आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। डा० कमला पाठक 31.07.2023 (60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात) को शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अभी तक सेवानिवृत्त नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा की गई उक्त कार्यवाही से मा० कार्य परिषद को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।</p>
<p>कार्य परिषद का निर्णय – मा० कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि डा० कमला पाठक, प्रोफेसर, फार्मसी संकाय को प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेज के फार्मसी संकाय के संकाय सदस्यों की भांति 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सेवा में बनाये रखा जाये जब तक कि शासन द्वारा कोई अन्यथा निर्देश न दिये जायें।</p>	

बैठक कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष, कार्य परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई।



(डा० चन्द्रवीर सिंह)

कुलसचिव एवं सचिव-कार्य परिषद,  
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।



(डा० प्रभात कुमार सिंह)

कुलपति एवं अध्यक्ष-कार्य परिषद,  
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

Page: 22  
 ॐ श्री गणेशाय नमः  
 ॐ श्री गणेशाय नमः

Date: 12.09.2023 (39th Anniversary)

Page: 23  
 Date: \_\_\_\_\_

क्र.सं.	नाम	पद
1.	Dr. Prabhat K. Singh	Vice Chancellor
2.	Dr. Gt. Singh	Ex. Director AIIMS Patna
3.	Dr. Usha Swicks	Dean (Medical faculty) HOD anaesthesia
4.	Dr. Nitya Nand Singh	Asst. & HOD Anatomy
5.	Dr. Jyoti Bala	Asst. Univ. Dean faculty of NG
6.	Dr. Kanda Prakash	Prof. & Dean, Faculty of Pharmacy
7.	Dr. V. S. Singh	Prof. & Dean

9412201915	Ushaswicks1970@gmail.com	
9450204775	nys2008@gmail.com	
9979762653	jyoti849@gmail.com	
8630135025	kandapratish@gmail.com	
9415058533		



क्र. 80

नाम

पद

8. Dr. Mukesh Yadav

Principal for  
Dine

9. Dr. Neelajyoti

Principal smc  
Badam

10. Dr. C V Singh

Registrar

11. Dr. Rambhai Yadav

Prof-VC

12. Dr. Rajesh Kashyap

Professor & Head,  
Haematology, SCPCMS,  
Lucknow.

क्र. 81

नाम

Dr. Neelajyoti / Dr. Yadav

Principal

9412014780 / drncprajyoti@gmail.com

Dr

9927791470

Handy

9415181190

Dr

(Online)

